मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2021-22

(31 दिसम्बर 2021 तक)

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन 2021–22

(31 दिसम्बर 2021 तक)

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय		पृष्ठ क्र.
01		विभागीय मंत्री तथा सचिवालय में पदस्थ अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों की जानकारी	1
02	भाग-एक	विभागीय संरचना, अधीनस्थ कार्यालय/निगमों की सामान्य जानकारी, विशेषताएं, महत्वपूर्ण सांख्यिकी	3 – 39
03	भाग-दो	बजट विहंगावलोकन एवं योजनावार प्रावधान, लक्ष्य, व्यय	40 – 43
04	भाग-तीन	राज्य योजनाए, एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	44 – 47
05	भाग-चार	सामान्य प्रशासनिक विषय	48 – 51
06	भाग-पांच	अभिनव योजना	52 – 53
07	भाग-छ:	विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन	53
08	भाग-सात	सारांश	54 - 56
09	भाग-आठ	महिलाओं के लिए किए गए कार्य	57

विभाग का नाम
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्री	**माननीय श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव (औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन)**	**दिनांक 12.07.2020 से निरंतर**
प्रमुख सचिव	श्री संजय कुमार शुक्ल	दिनांक 11.05.2020 से निरंतर
अपर सचिव	श्री विजय कुमार बरोनिया	दिनांक 03.02.2020 से 31.07.2020 तक दिनांक 05.11.2020 से निरंतर
उप सचिव	श्री अनुराग वर्मा	दिनांक 11.02.2021 से दिनांक 12.12.2021 तक
उप सचिव	श्री ऋषि गर्ग	दिनांक 17.12.2021 से दिनांक 01/02/2022 तक
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	श्री तरूण कुमार कटारे	दिनांक 11.07.2016 से निरंतर
	विभागाध्यक्ष	
पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाए	श्री आलोक नागर	दिनांक 01.06.2016 से निरंतर
संचालक, वाष्पयंत्र	श्री जी.पी. पटेल	दिनांक 01.07.2016 से निरंतर

भाग – 1
विभागीय संरचना

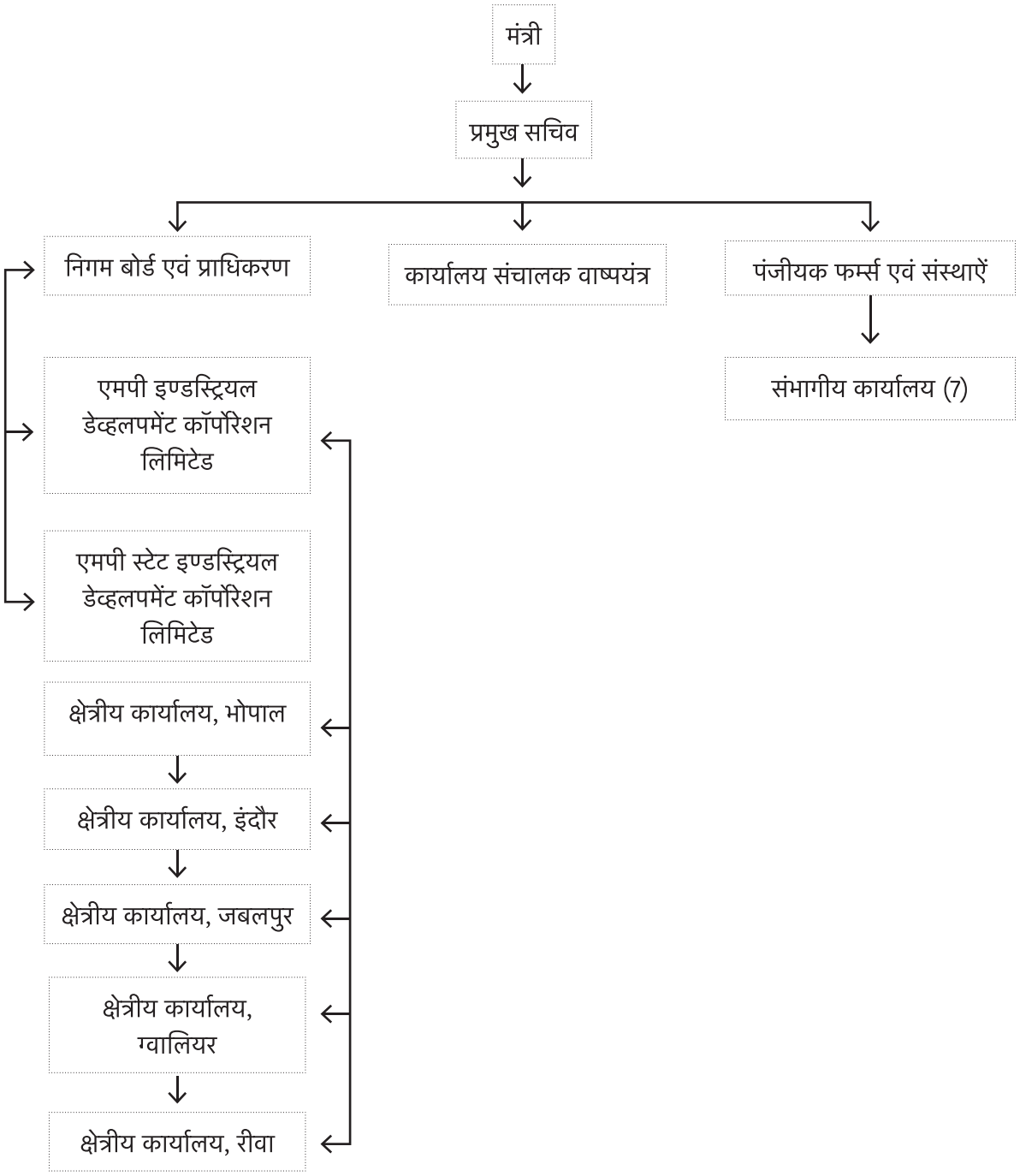

सामान्य जानकारी
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

उद्देश्य –

औद्योगीकरण तथा निजी पूंजी निवेश के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा रोजगार के अवसरों का सृजन

उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रणनीति

- ब्रांड एमपी स्थापित करना
- औद्योगिक अधोसंरचना का विकास
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
- उद्योग संवर्धन नीति-उद्योगों को वित्तीय सहायता
- निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति
- शिकायत निवारण व्यवस्था

वर्तमान में विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत दो विभागाध्यक्ष है :–

1. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाए, मध्यप्रदेश
2. संचालक, वाष्पयंत्र, मध्यप्रदेश

वर्तमान में विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम/बोर्ड निम्नानुसार है :-

सार्वजनिक उपक्रमों के अंतर्गत:–

1. एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
2. मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.

एम.पी.आई.डी.सी. से संबद्ध सहायक कंपनियां :–

- पीथमपुर ऑटो क्लस्टर
- मध्यप्रदेश प्लास्टिक पार्क डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
- मध्यप्रदेश प्लास्टिक सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन ग्वालियर लिमिटेड
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड
- पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड

नीतिगत प्रावधान :–

प्रदेश में औद्योगीकरण के लिये किये जा रहे प्रयासों और नीतियों के फलस्वरूप देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों एवं निवेशकों द्वारा प्रदेश में निवेश की रूचि प्रदर्शित की गई है। निवेश के वातावरण को निरंतर बनाये रखने की दृष्टि से उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) प्रभावशील है। नीति के प्रमुख नीतिगत बिंदु निम्नानुसार है :-

- सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार लाकर सभी निवेशकों के लिये एक उपयुक्त परिवेश बनाना ताकि वे आसानी से अपना व्यापार कर सकें।

- वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतों से निवेश को आकर्षित करना।
- उद्योगों के लिये भूमि की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ''भूमि बैंक'' (Land Bank) की स्थापना।
- विकसित औद्योगिक भूमि प्रतिस्पर्धी मूल्य पर निवेशकों को उपलब्ध कराना।
- वृहद श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संलग्न उद्योगों एवं सेवाओं तथा वृहद कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, राईपनिंग चेम्बर, इंडिविज्युअल क्विक फ्रीजिंग आदि को प्रोत्साहित करने तथा अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से विशिष्ट वित्तीय सहायता उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अनुक्रम में सम्मिलित की गई।
- टेक्सटाईल सेक्टर में ''मूल्य संवर्धित'' (value added) श्रृंखला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परिधान क्षेत्र की वृहद श्रेणी की निर्माण इकाईयों को विशिष्ट वित्तीय सहायता का प्रावधान दिनांक 09.04.2018 से सम्मिलित किया गया।
- जीएसटी प्रणाली लागू होने से एवं भारत के मध्य स्थल में अवस्थित होने के दृष्टिगत उद्योग सवंर्धन नीति 2014 के अनुक्रम में लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब एवं पार्क को वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधायें दिनांक 22.6.2018 से सम्मिलित की गई।
- जीएसटी प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप नीति अंतर्गत देय वेट/सीएसटी/प्रवेश कर छूट सुविधा को विलोपित कर वृहद औद्योगिक परियोजनाओं को टेक्स प्रणाली से पृथक कर निवेश प्रोत्साहन योजना दिनांक 01.04.2018 से 31.3.2022 तक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों पर लागू किया गया।
- वृहद श्रेणी की बंद इकाईयों के प्रबंधन परिवर्तन उपरांत पुर्नसंचालित करने पर विशेष पैकेज का प्रावधान दिनांक 28.8.2018 से सम्मिलित किया गया।
- निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने पर विशेष वित्तीय सहायता दिये जाने के प्रावधान दिनांक 28.8.2018 से सम्मिलित किये गये।
- उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाईयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिया जाना दिनांक 19.12.2018 के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों को अनिवार्य किया गया।
- औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाईयों को उनके परिसरों/रूफटॉप पर सौर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांटस की स्थापना द्वारा हरित एवं सस्ती ऊर्जा से लाभावित्त किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।
- वृहद श्रेणी की इकाईयों को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति, गुणवत्ता प्रमाणीकरण तथा जांच प्रयोगशाला में व्यय को निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत सम्मिलित करने संबंधी प्रावधान सम्मिलित किये गये। उक्त अनुक्रम में अवशिष्ट प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणों तथा जल संरक्षण उपायों की स्थापना पर किये गये व्यय की अधिकतम प्रतिपूर्ति की सीमा रू. 1 करोड तक की गई। परिधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिये अधिकतम सहायता में वृद्धि की गई। फार्मास्युटिकल, विनिर्माण इकाईयों को नीति अंतर्गत सुविधाओं का लाभ लेने हेतु उत्पादन दिनांक से 2 वर्ष तक स्लेक पीरियड की सुविधा प्रदान की गई।
- कोविड-19 संकट के कारण शासन आदेश दिनांक 12.06.2020 द्वारा उद्योगों को आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत उद्योग संवर्धन नीति में प्रावधानित सुविधाएं प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में रियायत, निवेश प्रोत्साहन सहायता उत्पादन क्षमता में सशर्त छूट, औद्योगिक क्षेत्र में भू-आवंटितियों एवं विभिन्न प्रयोजन हेतु निर्धारित समयावधि में रियायत संबंधी सुविधायें स्वीकृत की गई हैं।
- शासन आदेश दिनांक 12.06.2020 द्वारा उद्योग संवर्धन नीति (यथा संशोधित 2021) की कंडिका क्र. 10.2 अंतर्गत परिधान क्षेत्र में रू. 25 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की विनिर्माण इकाईयों को मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई

मान्य करने एवं निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना अंतर्गत वृहद औद्योगिक परियोजनाओं में विस्तार अंतर्गत न्यूनतम निवेश एवं वृहद श्रेणी के खाद्य प्रसंस्करण परिधान निर्माण, जैव प्रौद्योगिकी, हर्बल लघु उपज और आईटी क्षेत्र की मेगा स्तर की औद्योगिक इकाईयों को विस्तार अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ लेने हेतु संयंत्र एवं मशीनरी में न्यूनतम पूंजी निवेश राशि में संशोधन संबंधी निर्णय लिया गया है।

- राज्य शासन एतद् द्वारा कोविड-19 के संकट के दृष्टिगत प्रदेश में वर्तमान में उपलब्ध ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु ऑक्सीजन उत्पादन क्षेत्र में नवीन निवेश को आकर्षित करने के उद्येश्य से उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) में ऑक्सीजन उत्पादन इकाईयों एवं ऑक्सीजन उपकरण निर्माता इकाईयों हेतु शासन आदेश दिनांक 01.05.2021 द्वारा विशेष वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।
- राज्य शासन द्वारा प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए एथेनॉल एवं जैव ईंधन इकाईयों को प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन आदेश दिनांक 17.09.2021 द्वारा ''एथेनाल एवं जैव ईधन प्रोत्साहन योजना'' स्वीकृत की गई है।

उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशेधित 2021) अन्तर्गत प्रमुख वित्तीय सहायता :–

- राज्य निवेश प्रोत्साहन सहायता: टैक्स व्यवस्था को पृथक करते हुए सहायता।
- प्लांट एवं मशीनरी एवं भवन में किये गये निवेश पर 40 से 10 प्रतिशत की दर से निवेश प्रोत्साहन सहायता।
- खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को सहायता 1.5 गुना की दर।
- प्राथमिकता विकास खंडों में स्थापित होने वाली इकाईयों को सहायता 1.2 गुना की दर से।
- रोजगार सृजन करने वाली इकाईयों को सहायता 1 से 1.5 के बीच अनुपातिक आधार पर।
- निर्यातक इकाईयों को सहायता 1 से 1.2 के बीच अनुपातिक आधार पर।
- ब्याज अनुदान - टेक्सटाईल परियोजनाओं को टफ्स (TUFS) अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी पर लिये टर्मलोन पर ब्याज अनुदान 5 से 7 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष हेतु।
- अधोरसंचना विकास सहायता- औद्योगिक क्षेत्र से बाहर इकाई स्थापना पर रोड पानी एवं विद्युत संरचना विकसित करने पर व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 1 करोड़ प्रत्येक मद में।
- विद्युत टेरिफ में रू.1 प्रति यूनिट की छूट (विद्युत नियामक आयोग के रिटेल विद्युत टेरिफ ऑर्डर अनुरूप)।

निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद समिति :–

राज्य शासन के आदेश दिनांक 31.01.2013 द्वारा मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम 2008 के अंतर्गत निवेश प्रस्ताव पर कस्टमाईज्ड पैकेज प्रदान करने हेतु निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद समिति का गठन किया गया।

निवेश प्रस्ताव :

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अब तक निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद समिति की 03 बैठक आयोजित की गई, जिसमें रू. 10195.35 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त स्वीकृत परियोजना में लगभग 31027 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रोजगार प्रस्तावित है।

माननीय मुख्यमंत्री जी की निवेशकों से वन–टू–वन बैठक :–

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निवेशकों के साथ समय-समय पर बैठके आयोजित कर समस्याओं का निराकरण कर प्रदेश में निवेश हेतु मार्ग प्रशस्त किया गया।

मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 :–

प्रदेश में विकसित/ विकासाधीन एवं अविकसित भूमि के उचित एवं कुशल प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 लागू है, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है :-

- विकसित एवं विकसित की जाने वाली औद्योगिक प्रयोजन की भूमि में 01 हैक्टेयर तक 75 प्रतिशत एवं 01 हैक्टेयर से 20 हैक्टेयर तक 50 प्रतिशत भूमि के मूल्य में छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- औद्योगिक क्षेत्र में पट्टाग्रहिता वृहद इकाई को 05 प्रतिशत भूमि अधिकतम 05 एकड़ भूमि पर श्रमिक/तकनीकी स्टॉफ के निवास हेतु, भवन निर्मित करने का प्रावधान किया गया है।
- उद्योग उपयोगी सेवा प्रदाता इकाईयां जैसे लॉण्ड्री, स्टीम, नेच्युरल गैस, विद्युत प्रदाता इकाईयों को भूमि आवंटन, वृक्षारोपण हेतु अनुमति देने का प्रावधान किया गया है।
- इकाई द्वारा निर्धारित भू-भाटक का 10 गुना एकमुश्त जमा करने पर आगामी 20 वर्षों तक भू-भाटक से मुक्ति का प्रावधान किया गया है।
- भूमि का अधिकाधिक सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों के लिये विकास के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं, जिसमें निर्मित क्षेत्र अधिकतम 75 प्रतिशत एवं फर्शी क्षेत्रानुपात (एफ.ए.आर.) अधिकतम 2 किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय/निगमों की सामान्य जानकारी

कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश

दायित्व :–

इस कार्यालय को निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन का कार्य सौंपा गया हैः-

(अ) भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932

(ब) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973

(1) भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 – इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं :–

(अ) व्यापारिक भागीदारी फर्मों को रजिस्ट्रीकृत करना।

(ब) फर्मों की रचना में परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदनों को रिकॉर्ड में दर्ज करना।

(स) भागीदारों एव अन्य द्वारा चाहे जाने पर प्रलेखों की प्रतियां जारी करना।

इस अधिनियम के तहत विगत 05 वर्षों में रजिस्ट्रीकृत की गई फर्मों की संख्या वर्षवार निम्नानुसार है :-

वर्ष	पंजीयत फर्म्स की संख्या
2017-2018	1982
2018-2019	1987
2019-2020	1919
2020-2021	2199
2021-2022	1556 (दि.31/12/2021 की स्थिति में)

(2) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 – इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं :–

(अ) शैक्षणिक, सांस्कृतिक, परोपकारी, जनकल्याणकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं को रजिस्ट्रीकृत करना।

(ब) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन प्राप्त आवेदनों को निराकृत करना।

(स) संस्थाओं एवं अन्य द्वारा चाहे जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्राप्त प्रलेखों की प्रतियां नियमानुसार जारी करना।

(द) रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं की जांच, विशेष ऑडिट, निरीक्षण एवं शासन द्वारा प्रशासक नियुक्ति आदि के कार्य किए जाते हैं।

इस अधिनियम के तहत विगत 05 वर्षों में रजिस्ट्रीकृत की गई संस्थाओं की संख्या वर्षवार निम्नानुसार हैः-

वर्ष	पंजीयत फर्म्स की संख्या
2017-2018	6679
2018-2019	6158

वर्ष	पंजीयत फर्म्स की संख्या
2019-2020	6443
2020-2021	4450
2021-2022	2464 (दि.31/12/2021 की स्थिति में)

(3) **एम पी ऑनलाईन के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण :–** मुख्यालय के अंतर्गत सभी सात संभागीय कार्यालयों में जन सामान्य की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये एम पी ऑनलाईन के माध्यम से संस्थाओं एवं फर्मों के ऑनलाईन पंजीयन का कार्य किया जाकर डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र भेजे जा रहे हैं।

(4) **कार्यालयीन मूल रिकॉर्ड का डिजिटाईजेशन :–** कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं के मूल रिकॉर्ड के डिजिटाईजेशन का कार्य, कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा जनभागीदारी से नवम्बर 2017 से प्रारम्भ किया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 7 संभागीय कार्यालयों की लगभग 1 लाख 40 हजार संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तथा ज्ञापन–नियमावाली के स्केनिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। स्केनिंग के पश्चात फाईलों को अपलोड कर डेटा एन्ट्री का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही जिन संस्थाओं के रिकॉर्ड की डेटा एन्ट्री हो चुकी है, के वेरीफिकेशन का कार्य भी कार्यालयीन कर्मचारियों द्वारा 80 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। शेष रिकॉर्ड की डेटा एन्ट्री एवं वेरीफिकेशन का कार्य प्रगति पर है।

(5) **लोक सेवा गारंटी :–** मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश द्वारा प्रशासित मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की कुल 10 सेवाएं सम्मिलित की गई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है –

स.क्र.	सेवा क्र.	विवरण
01.	36.1	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973 के प्रावधानों के अनुसार समिति, युवामंडल, महिला मंडल आदि स्वयं सेवी संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण संबंधी सेवा (धारा 7)
02.	36.2	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नियमावली में संशोधन संबंधी सेवा (धारा 10 एवं 13)
03.	36.3	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भागीदारी फर्म के रजिस्ट्रीकरण संबंधी सेवा (धारा 59)
04.	36.4	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन फर्म नाम में और कारबार के मुख्य स्थान में हुए परिवर्तनों का अभिलेख (धारा 60)
05.	36.5	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन शाखाओं को बंद करने और खोलने का टिप्पणित किया जाना (धारा 61)
06.	36.6	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भागीदारों के नामों और पतों में तब्दीलियों का टिप्पणित किया जाना (धारा 62)

स.क्र.	सेवा क्र.	विवरण
07.	36.7	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन फर्म तब्दीलियों और उसके विघटन का अभिलेख (धारा 63)
08.	36.8	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भूलों का परिशोधन(धारा 64)
09.	36.9	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर और फाइल किये गये दस्तावेजों का निरीक्षण (धारा 66)
10.	36.10	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म द्वारा फाईल किये गये दस्तावेजों की प्रतियां दिये जाना (धारा 67)

(6) **महत्वपूर्ण सांख्यिकी :–** इस कार्यालय की आय वृद्धि हेतु शासन द्वारा अधिनियमों में पारदर्शिता लाने के लिये आवश्यक संशोधन किये गये, तदोपरांत इस कार्यालय की आय में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है। विगत 05 वर्षों का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	लक्ष्य	आय (लाख में)
2017-2018	800.00 लाख	1185.03 लाख
2018-2019	900.00 लाख	1133.75 लाख
2019-2020	1000.00 लाख	1353.72 लाख
2020-2021	1050.00 लाख	1217.36 लाख
2021-2022	1050.00 लाख	927.98 लाख (दि.31/12/2021 की स्थिति में)

संचालक, वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश

दायित्व :-

मध्यप्रदेश राज्य में बायलर अधिनियम 1923, भारतीय बायलर विनियम 1950, मध्यप्रदेश बायलर नियम 1969 व मध्यप्रदेश मितोपयोजक नियम 1959 का पालन सुनिश्चित करना एवं बायलर परिचारक नियम 2011 एवं बायलर चालन इंजीनियर नियम 2011 के अन्तर्गत परीक्षाओं का आयोजन कर योग्यताधारी उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्र प्रदान करना।

सामान्य जानकारी :-

1. राज्य में स्थित उद्योगों में स्थापित बायलरों का निरीक्षण कर वैधता प्रमाण-पत्र जारी कर राज्य के उद्योगों में बायलर संबंधी दुर्घटनाओं को नियंत्रित करना ताकि उद्योगों में होने वाली जन धन की हानि को रोका जा सके एवं दक्षतापूर्ण बायलरों का उपयोग करना।
2. राज्य में स्थापित होने वाले नवीन बायलरों का पंजीयन करना।
3. राज्य में होने वाली बायलर संबंधी दुर्घटनाओं की जांच करना।
4. राज्य में निर्माण होने वाले बायलरों का तकनीकी परीक्षण एवं निर्माण के दौरान निरीक्षण।
5. राज्य से अन्य राज्यों में स्थानांतरित होने वाले व राज्य में अन्य राज्यों से स्थानांतरित हुए बायलरों का रिकॉर्ड रखना।
6. बायलर एवं स्टीम लाईन के विभिन्न प्रेशर पार्टस की डिजाईन ड्राइंग का परीक्षण एवं निरीक्षण करना।
7. स्टीम पाईप लाईन के मानचित्र का अनुमोदन एवं निरीक्षण।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत संचालक, वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश की निम्न सेवाऐं अधिसूचित की गयी है -

क्र	सेवा क्र.	विवरण
1	38.1	बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 7 के अन्तर्गत बायलर का पंजीयन
2	38.2	बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 8 के अन्तर्गत बायलर का निरीक्षण
3	38.3	भारतीय बायलर विनियम, 1950 के विनियम 392(5) के अंतर्गत बायलर निर्माणकर्ता इकाईयों का अनुमोदन
4	38.4	भारतीय बायलर विनियम, 1950 के विनियम 392(5) के अंतर्गत बायलर इरेक्शनकर्ता इकाईयों का अनुमोदन
5	38.5	भारतीय बायलर अधिनियम 1950 के विनियम 392(5) के अंतर्गत बायलर सुधारक के रूप में पंजीयन
6.	38.6	भारतीय बायलर अधिनियम 1950 के विनियम 388 के अंतर्गत बायलर के स्थानांतरण की अनुमति
7.	38.7	बायलर अधिनियम 1923 की धारा 4 सी के अंतर्गत बायलर के विनिर्माण की अनुमति

महत्वपूर्ण सांख्यिकी :-

प्रतिवेदित अवधि में बायलर संचालनालय द्वारा किये गये बायलर निरीक्षण का समस्त ब्यौरा निम्नानुसार है -

(दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक)

स.क्र.	विवरण	संख्या
01	बॉयलर्स जिनका सम्पूर्ण निरीक्षण किया गया	515
02	बायलर्स जिनका जलदाब भार निरीक्षण किया गया	524
03	बॉयलर्स जिनका वाष्पभार निरीक्षण किया गया	45
04	बॉयलर्स जिनके प्रमाण-पत्र जारी किये गये	509
05	बॉयलर्स जिनको अनंतिम प्रमाण-पत्र दिये गये	119
06	इकोनामाइजर्स जिनका सम्पूर्ण निरीक्षण किया गया	10
07	इकोनामाइजर्स जिनके प्रमाण-पत्र जारी किये गये	14
08	इकोनामाइजर्स जिनके अंतःकालीन प्रमाण-पत्र जारी किये गये	04
09	बॉयलर्स जिनको कम अवधि के प्रमाण-पत्र दिये गये	0
10	बायलर्स जिनका वाष्पभार कम किया गया	04
11	बायलर्स जिनके लिये दुरूस्ति के आदेश दिये गये	03
12	बॉयलर्स जो मध्यप्रदेश से अन्य राज्यों को स्थानांतरित हुए	01
13	बॉयलर्स जो मध्यप्रदेश में अन्य राज्यों से स्थानांतरित हुए	07
14	दुर्घटना संबंधी रिपोर्ट जिसकी जांच की गई	0
15	नवीन बॉयलर्स पंजीकरण	58
16	नवीन इकोनामाइजर्स पंजीकरण	3
17	जारी वेल्डर्स प्रमाण-पत्र	0
18	वेल्डर्स प्रमाण-पत्र पृष्ठांकन संख्या	57

मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल

मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल (एमपीएसआईडीसी), मध्यप्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत शासन का एक उपक्रम है। निगम का मुख्यालय 'एव्हीएन टावर', प्लॉट नंबर 192, जोन-1, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है। निगम का गठन 1965 में कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था, जिसमें अंशपूंजी में शत प्रतिशत राशि मध्यप्रदेश शासन द्वारा वैष्ठित की गई है। निगम का ध्येय प्रदेश में स्थापित होने वाले वृहद तथा मध्यम श्रेणी की इकाईयों को विभिन्न प्रकार की सहायता कर प्रदेश के औद्योगिकरण की गति को तेज करना था, ताकि मध्यप्रदेश, देश के औद्योगिक परिदृश्य में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना सके।

वर्तमान में निगम का कार्य मुख्यत- निगम द्वारा वितरित ऋणों की वसूली किया जाना है। निगम के संचालक निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसियंशन के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करते हैं।

मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल

एम.पी. ट्रायफेक लिमिटेड का गठन वर्ष 2004 में तत्कालीन वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग (वर्तमान में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग) के अंतर्गत किया गया। रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, ग्वालियर द्वारा दिनांक 26.11.2018 को एम.पी. ट्रायफेक का नाम परिवर्तन कर एमपी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. किया गया है। एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. के क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा के रूप में कार्यरत है।

वर्तमान में एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल द्वारा निम्न कार्य/दायित्व संपादित/निर्वहन किये जा रहे हैं :-

- राज्य में औद्योगिक विकास, पूंजी निवेश एवं रोजगार सृजन हेतु समुचित सहायता।
- समस्त वित्तीय सुविधाओं की स्वीकृति तथा वितरण की नोडल एजेंसी।
- नीति निर्धारण, उसका क्रियान्वयन एवं परियोजना स्वीकृति के लिये एकल खिड़की प्रणाली के सचिवालय के रूप में कार्य करना।
- उद्यमियों द्वारा किए जा रहे पूंजी निवेश के दौरान शासकीय विभागों/संस्थाओं तथा उद्यमियों के मध्य समन्वय।
- राज्य में उपयुक्त औद्योगिक एवं व्यवसायिक वातावरण बनाए रखने के लिये उद्यमी/ उद्योग संघों से चर्चा उपरांत नीति एवं नियमों पर शासन को परामर्श देना।
- राज्य में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत, सेमीनार, प्रदर्शनी एवं संगोष्ठियों के माध्यम से संभावनाओं एवं जानकारियों का प्रचार-प्रसार करना।
- विश्व एवं भारत के अन्य राज्यों में हो रहे विकास को दृष्टिगत रखते हुए नीतिगत सुधारों हेतु पहल करना।
- प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना विकास, नियोजन एवं प्रबंधन का दायित्व।
- डी.एम.आई.सी. परियोजना क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी का दायित्व।
- निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति हेतु नोडल एजेंसी।
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन, निवेश प्रस्तावों की प्राप्ति एवं निवेश प्रोत्साहन एवं अनुसरण तथा उनके क्रियान्वयन के मॉनिटरिंग हेतु नोडल एजेंसी।
- निर्यात गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु नोडल एजेंसी।
- व्यापार संवर्धन सलाहकार मण्डल के सचिवालय का दायित्व निर्वहन।
- सीएसआर फेसिलिटेशन हेतु राज्य नोडल एजेंसी।

- लोकहित में उद्योगों के फेसिलिटेशन हेतु राज्य शासन एवं निगम के संचालक मण्डल व्दारा निर्दिष्ट व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन करना।
- वृहद अधोसंरचना तथा विनिर्माण परियोजनाओं की समस्या के समाधान हेतु गठित भारत सरकार, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप हेतु राज्य नोडल एजेंसी।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमेप :-

मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये आर्थिक रूप से सक्षम और संपन्न बनाना महत्वपूर्ण कदम होगा। राज्य में निवेश को आकर्षित करने हेतु कई ठोस कदम उठाये गये हैं। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में विभाग से संबंधित विषयों के क्रियान्वयन हेतु रोडमेप तैयार किया गया है। 30 दिवस में व्यवसाय शुरू करने के लिये विभिन्न प्रकियाओं का सरलीरकण कर ऑनलाईन व्यवस्था, एक जिला एक उत्पाद का चयन, निवेश कॉरीडोर, राज्य में व्यापार मेलों और निर्यात संबंधित क्षेत्रों के लिये कार्ययोजना, चंबल प्रोग्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे को प्रमुख औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित करना आदि विषय सम्मिलित किये गये हैं।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 :-

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग से संबंधित निम्नलिखित सेवाएं लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत अधिसूचित है :-

क्र	सेवा क्रमांक	सेवाएं
01	20.8	एमपीआईडीसी के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन हेतु आशय पत्र जारी करना- 1. इकाई अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी तथा शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से राशि रू. 10 करोड के बराबर अथवा उससे अधिक निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में। (समयसीमा – ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने पर तत्क्षण) 2. इकाई अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी तथा शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से राशि रू. 10 करोड से कम निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में। (समयसीमा 07 दिवस – ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से)
02	20.9	एमपीआईडीसी के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन हेतु आवंटन आदेश जारी करना। (समयसीमा 04 दिवस - आशय पत्र की पूर्ण राशि प्राप्त होने की दिनांक से)
03	20.10	एमपीआईडीसी के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन हेतु पट्टा अभिलेख का निष्पादन।
04	20.11	एमपीआईडीसी के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन हेतु आधिपत्य प्रदान करना। (समयसीमा 03 दिवस - पट्टाभिलेख के पंजीयन होने के उपरांत)
05	20.12	नगरीय क्षेत्रों में एमपीआईडीसी के अधीन विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति।
(अ) आशय-पत्र जारी करना		
06	20.13	वित्तीय सुविधा /सहायता हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र (उद्योग नीति अनुसार)
(ब) प्रयोज्य वित्तीय सुविधा/सहायता हेतु स्वीकृति एवं वितरण		
07	20.14	वित्तीय सुविधा/सहायता की पात्रता का निर्धारण।
08	20.15	वेट /जीएसटी अंर्तगत वितरण(दिनांक 01.07.2017 से जीएसटी प्रणाली अंर्तगत प्रतिपूर्ति)।

09	20.16	वृहद श्रेणी की टेक्सटाइल इकाईयों हेतु ब्याज अनुदान।
10	20.17	अधोसंरचना विकास पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति (बिजली, पानी एवं सड़क निर्माण हेतु)।
11	20.18	औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास हेतु सहायता।
12	20.19	वृहद श्रेणी इकाईयों हेतु अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों (ईटीपी /एसटीपी आदि) की स्थापना पर पूंजी अनुदान (हरित औद्योगीकरण)।
13	37.1	म.प्र. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. के अधीन विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में इकाईयों को जल आवंटन।

नोट :- उपरोक्त सेवाओं मे से 03 सेवाओं, सेवा क्रमांक 20.8-आशय पत्र जारी करना (इकाई अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी तथा शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से राशि रू. 10 करोड से कम निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में), 20.9 एवं 20.11 को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत मान्य अनुमोदन हेतु अधिसूचित किया गया है।

उददेश्यों की पूर्ति हेतु संचालित गतिविधियां एवं कार्ययोजना :–

1. सिंगल विण्डो/आई टी संबंधी जानकारी –

(i) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस :- उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन हेतु विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं से अनुमतियां एवं स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश आकर्षित करने के संदर्भ में Ease of Doing Business का विषय अत्यंत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गया है। इस संबंध में राज्य शासन की पहल पर विभिन्न विभागों के स्तर पर प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में कार्यवाही की जा रही है और आवश्यक नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा आयोजित ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्राज्यीय मूल्यांकन में मध्यप्रदेश ने वर्ष 2015 तथा 2016 में पांचवीं रैंक, 2017-18 में सातवीं रैंक तथा 2019 में चौथी रैंक प्राप्त की है। राज्य में सुधारों के क्रियान्वयन प्रतिशत मे भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह 2019 मे 100 प्रतिशत हो गई है। वर्ष 2020 की रैंकिंग संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है, जिसके अंतर्गत एमपीआईडीसी द्वारा 13 विभागों के 301 बिन्दुओं/रिफार्म्स की जानकारी DPIIT भारत सरकार के ईओडीबी पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है।

(ii) INVEST (Integrated New Venture Establishment) पोर्टल :– निवेशकों की औद्योगिक परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त होते ही उसके क्रियान्वयन, पूर्ण होने तथा इकाई को स्वीकृति व समस्त सुविधाओं के वितरण सहित उसके पूरे जीवन चक्र की मानिटरिंग के लिए 'INVEST' (इन्वेस्ट) नाम से पोर्टल (invest.mp.gov.in) तैयार किया गया है। सशक्त सिंगल विण्डो प्रणाली के तहत इस पोर्टल के माध्यम से सभी प्रक्रियाओं की सतत् समीक्षा की जाकर निर्धारित समय-सीमा में अनुमतियां/सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है तथा परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन को फेसिलिटेट किया जाता है। वर्तमान में इस पोर्टल से 12 विभागों की 45 सेवाओं का ऑनलाईन लाभ सभी वर्गों के निवेशकों द्वारा लिया जा रहा है। इस व्यवस्था से पूंजी निवेश की प्रक्रिया को और गति मिलेगी।

(iii) इन्टेंशन टू इन्वेस्ट :- 01.04.2021 से 31.12.2021 के दौरान एमपीआईडीसी की वेबसाइट के माध्यम से निवेशकों द्वारा विभागीय सिंगल विण्डो सिस्टम अंतर्गत 165 निवेश आशय प्रस्ताव दर्ज किए गए, जिनमें रू. 24937.94 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है तथा 60,499 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है।

(iv) मिनीमाइजिंग रेग्युलेटरी कम्पलायंस बर्डन :- अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और नियामक ढाचे को सरल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा मिनीमाइजिंग रेग्युलेटरी कम्पलायंस बर्डन नामक पहल की गई है। कार्यक्रम की निगरानी औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा की जा रही है। कार्यक्रम अंतर्गत

व्यवसाय एवं उद्योगो हेतु नियमों का सरलीकरण, नागरिक सेवाओं का सरलीकरण, विभिन्न अधिनियमों/ नियमों के Decriminalization के प्रावधान इत्यादि सम्मिलित है।

उक्त गतिविधि हेतु DPIIT द्वारा रेग्युलेटरी कम्पलायंस पोर्टल (RCP) विकसित किया गया है। कार्यक्रम अंतर्गत मध्यप्रदेश ने उक्त अभ्यास के प्रथम तथा द्वितीय चरण को पूर्ण कर, रेग्युलेटरी कम्पलायंस पोर्टल पर 37 विभागों के कुल 1896 (प्रथम चरण – 271 तथा द्वितीय चरण- 1625) बर्डनसम कम्पलायंसेस को सफलतापूर्वक अपलोड किया है।

उपरोक्त कार्यक्रम में प्रथम चरण अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत कम्पलायंस के आंकलन के आधार पर मिनीमाइजिंग रेग्युलेटरी कम्पलायंस बर्डन अंतर्गत DPIIT ने 24 बेस्ट प्रेक्टिसेस (राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय) को प्रकाशित किया, जिसमें मध्यप्रदेश की 3 सेवाएं भी शामिल है, जो कि निम्नानुसार है :-

(अ) ऑनलाइन भूमि आवंटन सिस्टम
(ब) भूमि उपयोग में व्यपवर्तन
(स) कार्यों एवं सेवाओं के लिए ठेकेदारों का पंजीकरण

(v) कंप्यूटराईज्ड केन्द्रीकृत निरीक्षण व्यवस्था :- भारत सरकार द्वारा व्यापार संचालन सरलीकरण के लिए राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय व्यापार सुधार कार्यक्रम 2020 के क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य योजना अंर्तगत औद्योगिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों हेतु आवश्यक निरीक्षणों के लिए एक कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीकृत निरीक्षण व्यवस्था निर्मित किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। कंप्यूटराईज्ड केन्द्रीकृत निरीक्षण व्यवस्था एमपीआईडीसी द्वारा विकसित एवं परिनियोजित की गयी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत निरीक्षण हेतु निरीक्षकों का चयन केन्द्रीय रूप से किया जाकर निरीक्षण रिपोर्ट 48 घंटे की अवधि के भीतर ऑनलाईन अपलोड की जाती है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 की रैंकिंग संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अंतर्गत प्रस्तावित सुधारों के सफल क्रियान्वयन किए जाने के फलस्वरूप स्टेट जीएसडीपी के 2 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण सीमा का लाभ उठाने वाले प्रथम 05 राज्यों मे से मध्यप्रदेश भी एक राज्य रहा है। उक्त 02 प्रतिशत राशि में से 0.25 प्रतिशत यथा राशि रू. 2373.00 करोड़ की स्वीकृति औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत सुधारों के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में प्रदत्त की गई है।

(vi) जीआईएस आधारित भूमि आवंटन पोर्टल :- एमपीआईडीसी द्वारा जीआईएस आधारित भूमि आवंटन पोर्टल का निर्माण किया गया है। जीआईएस पोर्टल के माध्यम से किसी भी समय एवं स्थान पर औद्योगिक भूखण्डों की उपलब्धता देखी जा सकती है। इसके माध्यम से पूर्ण रूप से ऑनलाईन भूमि बुकिंग प्रक्रिया की सुलभता प्रदान की जाती है। साथ ही आधार (UIDAI) आधारित ई-साइन सुविधा एवं उक्तानुसार वैध डिजीटल सिग्नेचर प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन भुगतान एनईएफटी/आरटीजीएस एवं चालान जैसे विभिन्न मोड के माध्यम से विभाग की ओर से भुगतान प्राप्त करने हेतु भुगतान गेटवे प्रणाली के साथ एकीकरण कर व रियल टाइम एप्लिकेशन स्टेटस ट्रेकिंग की सुविधा निवेशकों को प्रदान की जा रही है।

उक्त ऑनलाइन भूमि बुकिंग प्रक्रिया में कोई दस्तावेज आवश्यक नहीं होने के फलस्वरूप यह एक पूर्ण रूप से कागज रहित (पेपरलेस) प्रणाली है। साथ ही समयबद्ध भूमि आवंटन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। उक्त प्रक्रिया में त्वरित रसीदों एवं सूचना का प्रदाय (एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से) सुनिश्चित किया जाता है।

(vii) 30 दिवस में उद्योग प्रारंभ करना :– माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा भोपाल में दिनांक 18.08.2020 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग में 30 दिवस में अपना उद्योग प्रारंभ करने की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी है। घोषणा के क्रियान्वयन के तरीके एवं उद्योग स्थापनार्थ आवश्यक विभिन्न विभागों की सम्मतियां/अनुमतियां/अनुज्ञप्तियां/पंजीयन इत्यादि 30 दिवस के अन्दर प्रदान किये जाने के परिप्रेक्ष्य में विचार विमर्श हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता में दिनांक 22.12.2020 को बैठक आयोजित की गई। 30 दिवस में उद्योग प्रारंभ करने की प्रक्रिया अंतर्गत निवेश संबंधी 09 विभागों की 45 सेवाओं को चिन्हित किया गया है। उक्त सेवाओं की प्रदाय समयसीमा में कमी/युक्तियुक्त कर उन्हें 30 दिवस की सीमा में प्रदान करने एवं PSG Act की परिधि में लाए जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत एमपीआईडीसी के विकसित औद्योगिक क्षेत्रो में पूर्व से प्रदान की जा रही 06 सेवाओं को नवीन सिरे से अधिसूचित कर उक्त सेवाओं मे से निम्न 03 सेवाओं को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत तत्क्षण एवं मान्य अनुमोदन हेतु अधिसूचित किया गया है।

- आशय पत्र जारी करना
- आवंटन आदेश जारी करना
- आधिपत्य प्रदान करना

(viii) स्टेट सिंगल विण्डो सिस्टम का नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन :- उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार, इन्वेस्ट इंडिया द्वारा उद्योग संवर्धन हेतु नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम की परिकल्पना की गई थी, जिसमे भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभागों से उद्योग स्थापनार्थ आवश्यक Approvals/Licenses/ permissions/ Registration etc. एक ही इंटीग्रेटेड पोर्टल से लिए जा सकेंगे। DPIIT तथा इन्वेस्ट इंडिया ने नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम को राज्यों के सिंगल विण्डो सिस्टम के साथ एकीकृत किए जाने की पहल की है। गतिविधी के प्रथम चरण मे 14 राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें मध्यप्रदेश भी शामिल है। एमपीआईडीसी द्वारा स्टेट सिंगल विण्डो सिस्टम का नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(ix) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग से संबंधित लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाएं :-

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग से संबंधित निम्नलिखित सेवाएं लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत अधिसूचित है :-

क्र	सेवा क्रमांक	सेवाएं
01	20.8	एमपीआईडीसी के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन हेतु आशय पत्र जारी करना- 1. इकाई अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी तथा शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से राशि रू. 10 करोड के बराबर अथवा उससे अधिक निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में। (समयसीमा – ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने पर तत्क्षण) 2. इकाई अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी तथा शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से राशि रू. 10 करोड से कम निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में। (समयसीमा 07 दिवस – ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से)
02	20.9	एमपीआईडीसी के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन हेतु आवंटन आदेश जारी करना। (समयसीमा 04 दिवस - आशय पत्र की पूर्ण राशि प्राप्त होने की दिनांक से)
03	20.10	एमपीआईडीसी के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन हेतु पट्टा अभिलेख का निष्पादन।
04	20.11	एमपीआईडीसी के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन हेतु आधिपत्य प्रदान करना। (समयसीमा 03 दिवस - पट्टाभिलेख के पंजीयन होने के उपरांत)
05	20.12	नगरीय क्षेत्रों में एमपीआईडीसी के अधीन विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति।
(अ) आशय-पत्र जारी करना		
06	20.13	वित्तीय सुविधा /सहायता हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र (उद्योग नीति अनुसार)

(ब) प्रयोज्य वित्तीय सुविधा/सहायता हेतु स्वीकृति एवं वितरण		
07	20.14	वित्तीय सुविधा/सहायता की पात्रता का निर्धारण।
08	20.15	वेट /जीएसटी अंर्तगत वितरण(दिनांक 01.07.2017 से जीएसटी प्रणाली अंर्तगत प्रतिपूर्ति)।
09	20.16	वृहद श्रेणी की टेक्सटाइल इकाईयों हेतु ब्याज अनुदान।
10	20.17	अधोसंरचना विकास पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति (बिजली, पानी एवं सड़क निर्माण हेतु)।
11	20.18	औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास हेतु सहायता।
12	20.19	वृहद श्रेणी इकाईयों हेतु अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों (ईटीपी /एसटीपी आदि) की स्थापना पर पूंजी अनुदान (हरित औद्योगीकरण)।
13	37.1	म.प्र. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. के अधीन विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में इकाईयों को जल आवंटन।

नोट :- उपरोक्त सेवाओं मे से 03 सेवाओं, सेवा क्रमांक 20.8-आशय पत्र जारी करना (इकाई अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी तथा शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से राशि रू. 10 करोड से कम निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में), 20.9 एवं 20.11 को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत मान्य अनुमोदन हेतु अधिसूचित किया गया है।

2. इन्वेस्टमेंट ड्राईव :-

प्रदेश में निवेश आकर्षित करने हेतु "इन्वेस्टमेंट ड्राईव" निर्वाध रूप से एक सतत् प्रक्रिया स्वरूप चल रहा है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न रोड-शो, वर्चुअल इवेंट्स एवं अन्य कार्यक्रम किये जा रहे हैं तथा उक्त आयोजनों में निवेशको से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

प्रदेश को निवेश हेतु आकर्षक राज्य के रूप में प्रदर्शित करने, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने एवं प्रदेश में उपलब्ध निवेश की सम्भावनाओं की मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2021-22 में (1 अप्रैल 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक) 01 अंतर्राष्ट्रीय एवं 13 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भौतिक रूप से एवं 04 वर्चुअल कार्यक्रमों का आयोजन/भागीदारी की गई जो कि निम्नानुसार है :-

क्र.	आयोजन का नाम	दिनांक	स्थान
1	बैंगलौर विजिट	13 से 14 जुलाई 2021	बैंगलौर, कर्नाटक
2	कोचिन विजिट	15 से 16 जुलाई 2021	कोचिन, केरल
3	तिरूअनंतपुरम विजिट	17 से 18 जुलाई 2021	तिरूअनंतपुरम, केरल
4	केपेसिटी बिल्डींग प्रोग्राम फॉर एक्सपोर्टस (18 जिले)	15 अगस्त से 21 दिसम्बर 2021	वर्चुअल प्लेटफॉर्म
5	ग्लोबल वर्चुअल एक्सपो	27 अगस्त 2021	वर्चुअल प्लेटफॉर्म
6	ए.एम.सी.एच.ए.एम की 29वी एनुअल जनरल मीटिंग	03 सितम्बर 2021	वर्चुअल प्लेटफॉर्म

क्र.	आयोजन का नाम	दिनांक	स्थान
7	वाणिज्य उत्सव	22 सितम्बर 2021	भोपाल, मध्यप्रदेश
8	वाणिज्य उत्सव एवं एक्सपोर्टस कॉन्क्लेव	29 सितम्बर 2021	इंदौर, मध्यप्रदेश
9	राउण्ड टेबल मीटिंग विद प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स	08 अक्टूबर 2021	नई दिल्ली
10	माननीय मुख्यमंत्रीजी का जनकल्याण एवं सुराज कार्यक्रम	02 अक्टूबर 2021	नीमच, मध्यप्रदेश
11	पी.एम. गति शक्ति - नेशनल मास्टर प्लान लाँच एण्ड स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन मल्टी मॉडल इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टीविटी	13 अक्टूबर 2021	भोपाल, मध्यप्रदेश
12	हैदराबाद विजिट	21 से 22 अक्टूबर 2021	हैदराबाद, तेलंगाना
13	बैंगलौर विजिट	11 से 13 नवम्बर 2021	बैंगलौर, कर्नाटक
14	40 वां भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला	14 से 27 नवम्बर 2021	नई दिल्ली
15	गति शक्ति - जोनल कॉफ्रेन्स (वेस्ट जोन)	26 नवम्बर 2021	गांधीनगर, गुजरात
16	वर्ल्ड एक्स्पो - 2020 (दुबई एक्स्पो)	03 से 09 दिसम्बर 2021	दुबई, यूएई
17	स्टेट पॉलिसी कॉन्क्लेव-2021	07 दिसम्बर 2021	वर्चुअल प्लेटफॉर्म
18	वेस्ट रीजन वर्कशॉप ऑन "एक्स्पोर्ट प्रमोशन वीद थ्रस्ट ऑन क्वालिटी"	14 दिसम्बर 2021	भोपाल, मध्यप्रदेश

उपरोक्त के अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों/प्रतिनिधियों द्वारा वर्ष 2021-22 में विभिन्न वेबिनार, वीडियो कॉन्फ्रेंस एवं अन्य वर्चुअल कार्यक्रमों में भागीदारी की गई।

3. औद्योगिक अधोसंरचना विकास :-

(i) आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश :- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अन्तर्गत में कार्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में चम्बल प्रोग्रेस-वे एवं नर्मदा एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर विकसित करना। प्रदेश के उपयुक्त स्थलों पर लॉजिस्टक हब विकसित करना तथा एयर कार्गो फेसिलिटी भोपाल में विकसित करने हेतु संभावना तलाशाना, सेक्टर स्पेसिफिक प्रोड्क्टस के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिये कार्य योजना तैयार कर अमल में लाना तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर के ट्रेड फेयर आयोजन हेतु एमपीआईडीसी एवं एन.आई.सी.डी.सी. से ज्वाईन्ट वेंचर से भोपाल में प्रगति ट्रेड फेयर स्थल विकसित करना लक्ष्य है। उक्त लक्ष्य 03 वर्ष की अवधि में क्रियान्वित किया जाना है, जिसकी कार्यवाही प्रचलन में है।

(ii) नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना :- प्रदेश में विगत वर्षों में चलाये जा रहे निवेश प्रोत्साहनों अभियानों के तहत वैश्विक स्तर पर निवेशकों को आकर्षित करने हेतु अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर, विकसित औद्योगिक भूखंडों के सुलभ विकल्प उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से चरणबद्ध तरीके से नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है।

- प्रदेश के विभिन्न अंचलों में मांग के अनुरूप 1578.25 हेक्टेयर भूमि पर 20 नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है, जिसके तहत इच्छूक उद्यमियों से ईओआई दिनांक 27.11.2020 को आमंत्रित किये गये। उपरोक्त के नैरन्तर्य में प्रदेश के विभिन्न अंचलों में मांग के अनुरूप 04 नवीन औद्योगिक क्षेत्र यथा औद्योगिक पार्क मोहना जिला इन्दौर, औद्योगिक पार्क रतलाम, जिला रतलाम, औद्योगिक पार्क जावरा, जिला रतलाम एवं औद्योगिक पार्क कटनी (लमतरा) फेस-2, जिला कटनी को 186.31 हेक्टेयर भूमि में राशि रू. 128.65 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 08/09/2021 को प्रदान की गई तथा अधोसंरचना निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

- परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 26/07/2021 के द्वारा 02 औद्योगिक क्षेत्रों औद्योगिक पार्क भोपाल (बगरौदा) एवं औद्योगिक पार्क सीहोर (बड़ियाखेड़ी) को विकसित करने की अनुमति प्रदान की गई। मंत्रि-परिषद से स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

- परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 29.12.2021 के द्वारा 05 औद्योगिक क्षेत्रों यथा बैरसिया जिला भोपाल, आष्टा (झिलेला) जिला सीहोर, धार (तिलगारा) जिला धार, रतलाम मेगा औद्योगिक पार्क (फेज-1) रतलाम, नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर को विकसित करने का अनुमोदन किया गया। मंत्रि-परिषद से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(iii) विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों का उन्नयन :- औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण एवं पूर्व विकसित क्षेत्रों का उन्नयन एक महत्वपूर्ण गतिविधि तथा निरन्तर प्रक्रिया है। अच्छी गुणवत्ता वाली औद्योगिक अधोसंरचना उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उत्पादन और परिवहन लागत को कम करने और दक्षता प्राप्त करने में सहायक होती है।

उपरोक्त के तारतम्य में वर्ष 2020-21 के प्रथम चरण में 07 विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र यथा देवास-2 व 3, पीथमपुर सेक्टर-1 व 2 तथा एस.ई.जेड. (द्वितीय चरण), बानमौर जिला मुरैना, प्रतापुरा जिला निवाड़ी, खैरितायगांव-बोरगांव जिला छिन्दवाड़ा, लमतरा जिला कटनी एवं फूडपार्क बाबई जिला होशंगाबाद को राशि रू. 95.08 करोड़ की लागत से अधोसंरचना उन्नयन का कार्य निष्पादित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2021-22 के प्रथम चरण में 09 विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र यथा जग्गाखेडी जिला मंदसौर, एस.ई.जेड. फेस-2 इन्दौर, निमरानी जिला खरगौन, इलेक्ट्रानिक कॉम्पलेक्स इन्दौर, रेडीमेड गारमेंट कॉम्पलेक्स इन्दौर, मक्सी जिला शाजापुर, सिद्धगवां जिला सागर, नौगांव बीना जिला सागर, आई.जी.सी. मनेरी जिला मण्डला को राशि रू. 104.99 करोड़ की लागत से अधोसंरचना उन्नयनीकरण हेतु शासन के आदेश क्रं. एफ/2-13/2021/बी-ग्यारह दिनांक 30.12.2021 द्वारा स्वीकृति प्रदाय की गई।

(iv) लैण्ड पूलिंग योजना 2019 :- राज्य शासन द्वारा लैण्ड पूलिंग योजना 2019 की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त योजना के तहत इन्दौर-धार इन्वेस्टमेंट रीजन में पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र क्रं. 04 एवं 05 के विकास के लिये प्रथम चरण में 586.70 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर रू. 550.00 करोड़ की लागत से नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु शासन द्वारा दिनांक 22.09.2020 को स्वीकृति प्रदाय की गई है। इससे क्षेत्र में रू. 15000.00 करोड इंवेस्टमेंट किया जाना एवं 10000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में द्वितीय चरण में लगभग 500 हेक्टेयर अतिरिक्त निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने हेतु मंत्रि-परिषद से अनुमोदन की कार्यवाही प्रचलन में है।

(v) **भोपाल-इन्दौर एवं अटल प्रोग्रेसवे :-** भोपाल-इन्दौर एवं अटल प्रोग्रेसवे को एक समेकित आर्थिक विकास का आदर्श मॉडल बनाकर औद्योगिक पार्क विकसित किये जाने की योजना बनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रस्तावित अटल प्रोग्रेसवे के औद्योगिक विकास एवं निवेश क्षमता के आंकलन हेतु मेसर्स ई एण्ड वाय कंसलटेंट को दिनांक 10.11.2020 को नियुक्त किया गया है। कन्सलटेंट द्वारा Pre-Feasibility Report का प्रारूप दिनांक 23/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है, आगामी कार्यवाही प्रचलन में है।

(vi) **प्रदेश में फार्मा इण्डस्ट्री को बढ़ावा :-**

मेडिकल डिवाईस पार्क की स्थापना :- भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग द्वारा दिनांक 24.09.2021 को मध्यप्रदेश में मेडिकल डिवाईस पार्क की स्थापना हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार के द्वारा दिये गये सुझाव के परिप्रेक्ष्य में मेडिकल डिवाईस पार्क की स्थापना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र मोहासा-बाबई के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में स्थापना हेतु अनुमोदन प्राप्त किया गया है। मेडिकल डिवाईस की स्थापना हेतु राशि रू. 222.77 करोड से 360 एकड़ भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है। कंसलटेंट की नियुक्ति कर डीपीआर तैयार की जाकर भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है एवं भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित है।

4. दिल्ली – मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) परियोजना :–

भारत सरकार द्वारा दिल्ली-मुम्बई के बीच Dedicated Freight Corridor (DFC) के दोनों ओर लगभग 150 कि.मी; तक के क्षेत्र में दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) परियोजना भारत सरकार द्वारा जापान सरकार के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से क्रियान्वित करने की योजना है। प्रदेश के नीमच, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ अलीराजपुर, धार, इंदौर उज्जैन, शाजापुर, देवास एवं राजगढ जिले परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। डीएमआईसी परियोजना के लिए राज्य में एमपी इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड नोडल एजेंसी के रूप में नामांकित है।

(i) **विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन :-** प्रदेश के उज्जैन जिले में डी.एम.आई.सी. योजना अन्तर्गत विक्रम उद्योगपुरी इंडस्ट्रीयल टाउनशिप 460 हेक्टेयर भूमि पर देवास उज्जैन राज्य राजमार्ग पर 300.00 करोड़ की लागत से विकसित की गई है। टाउनशिप अंतर्गत 91 इंडस्ट्रीयल प्लाट, 19 रेसीडेंशियल प्लाट, 17 कमर्शियल प्लाट एवं 20 प्लाट पब्लिक एवं सेमी पब्लिक हेतु, इस प्रकार सभी बुनियादी सुविधाओं सहित कुल 147 प्लाट विकसित किये गये हैं। विक्रम उद्योगपुरी में उद्योगपतियों एवं निवेशकों को भूमि आवंटन की ऑनलाइन कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

(ii) **पीथमपुर जल प्रदाय योजना :-** औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जिला धार एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाईयों को निरन्तर जल प्रदाय हेतु नर्मदा-क्षिप्रा लिंक प्रोजेक्ट से 90 एम.एल.डी. की जल प्रदाय योजना विकसित कर उद्योगों को जल प्रदान का कार्य प्रारंभ किया गया है।

5. निवेश परियोजनाओं को भूमि आवंटन :–

आलोच्य अवधि में विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में एवं अविकसित भूमि कुल 263 औद्योगिक इकाईयों को लगभग 301.67 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई जिसमे रू. 4661 करोड़ का पूंजी निवेश तथा लगभग 20557 व्यक्तियों को रोजगार संभावित है।

6. औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय सहायता :–

वित्तीय वर्ष 2021-22 (01 अप्रेल 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक) में प्राप्त आवंटन के विरूद्ध किये गये वितरण एवं आलोच्य वर्ष में इकाईयों को उपलब्ध कराई वित्तीय सहायता की जानकारी :-

- वर्ष 2021-22 (01 अप्रैल 2021 से 31 दिसबंर 2021 तक) में वृहद श्रेणी की औद्योगिक निवेश परियोजनाओं के लिए म.प्र. निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 अंतर्गत एमपीआईडीसीलि स्तर से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति की कुल 03 बैठक आयोजित कर कुल 64 प्रकरणों में सुविधा की पात्रता का निर्धारण किया गया।

- वर्ष 2021-22 (01 अप्रैल 2021 से 31 दिसबंर 2021 तक) में म.प्र. उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना–2004/2010 एवं म.प्र. निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना-2014 (वैट/सीएसटी प्रतिपूर्ति) अंतर्गत एमपीआईडीसीलि के संचालक मंडल द्वारा कुल 02 बैठक आयोजित कर कुल 105 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

- वर्ष 2021-22 (01 अप्रैल 2021 से 31 दिसबंर 2021 तक) में उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2021) में प्रावधानित सुविधा/सहायता अंतर्गत राशि रू. 445.79 करोड़ की सहायता स्वीकृत एवं वितरित की गई है।

7. निर्यात संवर्धन :–

प्रदेश में निर्यात संवर्धन ढांचे को मजबूत करने, निर्यातकों को प्रोत्साहित करने, प्रदेश के उत्पादों को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने एवं निर्यात प्रोत्साहन के उद्देश्य से भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ निर्यातकों एवं उद्यमियों को हो सके। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित कार्य किये गये हैं :-

(i) माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिनांक 22.09.2021 को निर्यातकों को मार्गदर्शन एवं डेटा प्रचार-प्रसार के लिये एमपी ट्रेड पोर्टल https://www.mptradeportal.org का उद्घाटन किया गया।

(ii) माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिनांक 22.09.2021 को निर्यातकों की सहायता एवं मार्गदर्शन हेतु एक्सपोर्ट हेल्पलाईन + 91-755-2577145 का उद्घाटन किया गया।

(iii) प्रदेश में निर्यात संवर्धन हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा स्वयं की अध्यक्षता में "मध्यप्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउन्सिल" के गठन की घोषणा दिनांक 22.09.2021 को की गई थी। उक्त काउंसिल का गठन किया जा रहा है।

(iv) प्रदेश में निर्यात संवर्धन हेतु "मध्यप्रदेश एक्सपोर्ट पॉलिसी 2021-26" का तैयार की जा रही है।

(v) प्रदेश में निर्यात संवर्धन हेतु एमपीआईडीसी के एक्सपोर्ट सेल द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारियों, जिला एक्सपोर्ट कमिटी एवं जिले के निर्यातकों से चर्चा कर जिला निर्यात कार्य योजना पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 31.12.2021 तक 52 जिलों में से 31 जिलों से आउटरीच प्रोग्राम सम्पन्न किये गये हैं।

(vi) जिला स्तरीय निर्यात के प्रचार-प्रसार के साथ निर्यात पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सिवनी, रीवा एवं उज्जैन जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है।

(vii) एक जिला एक उत्पाद योजना अंतर्गत 52 जिलों की मॉनिटरिंग की जा रही है।

(viii) प्रदेश में निर्यातकों, हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ई-कॉमर्स कम्पनियों eBay एवं Flipkart के साथ एमओयू हस्ताक्षर प्रक्रियाधीन है।

8. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR- Corporate Social Responsibility) –

मध्यप्रदेश में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) की गतिविधियों को फेसिलिटेट करने एवं उनके क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिसके राज्य नोडल अधिकारी प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसीलि, भोपाल है। सी.एस.आर. के फेसिलिटेशन के संबंध में स्टेट नोडल एजेंसी एमपीआईडीसीलि द्वारा मेप-आई.टी. के माध्यम से एम.पी.सी.एस.आर. वेब पोर्टल http://www.csr.mp.gov.in विकसित की गई है। इस वेबसाईट पर विभागवार एवं जिलावार सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट प्रदर्शित हैं। कंपनी इन सेल्फ आफ प्रोजेक्ट में से उसकी इच्छानुसार प्रो्जेक्ट का चयन कर सकेगी। कंपनियों के उपर यह बंधन नहीं है कि वह इसी प्रोजेक्ट में से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में कार्य करे। परंतु मध्यप्रदेश शासन के स्वामित्व की कंपनियों के लिये बंधनकारी होगा कि वेबसाईट पर प्रदर्शित परियोजनाओं को ही सीएसआर अंतर्गत ले सकेंगे।

9. निगम की वित्तीय स्थिति :-

(i) प्रदत्त पूंजी - रू. 80.25 लाख (समस्त पूंजी राज्य शासन द्वारा वैष्ठित है।)

(i) अधिकृत पूंजी - रू. 13,500.00 लाख (समता अंश रू. 13,475.00 लाख एवं पूर्वाधिकार अंश रू. 25.00 लाख)

(iii) संचित कोष - रू. 14592.16 लाख (31 मार्च 2020 की स्थिति में)

10. लेखा अंकेक्षण की स्थिति :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 के खातों का महालेखाकार कार्यालय भोपाल द्वारा अंकेक्षण पूर्ण किया जा चुका है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रतिक्षित है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के खातों का सांविधिक अंकेक्षण पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के खातों को तैयार करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

11. महत्वपूर्ण सांख्यिकी :-

एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. के क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा एवं ग्वालियर अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी (31.12.2021 की स्थिति में) –

एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल अंतर्गत विकसित औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी

क्रं	विकसित औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटन योग्य भूमि		आवंटित भूमि		रिक्त भूमि	
			क्षेत्रफल (हेक्टे.में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या
1.	मण्डीदीप, जिला-रायसेन	1102.087	834.495	953	833.885	952	0.610	01
2.	पीलूखेडी, जिला-राजगढ़	228.000	185.980	149	133.710	115	52.270	34
3.	फूडपार्क बाबई-पिपरिया, जिला-होशंगाबाद	26.820	12.780	89	8.5185	68	4.261	21
4.	जम्बार बागरी, जिला-विदिशा	84.312	48.562	193	0.720	11	47.842	182
5.	बगरौदा, जिला-भोपाल	128.020	71.460	472	67.470	470	3.990	02
6.	अचारपुरा, जिला-भोपाल	146.340	81.310	237	40.156	171	41.154	66
7.	कीरतपुर, जिला-होशंगाबाद	98.050	33.870	188	8.893	60	24.977	128
8.	मोहासा-बाबई, जिला-होशंगाबाद	679.580	414.793	457	49.340	02	365.453	455
9.	बड़ियाखेडी, जिला-सीहोर	117.758	78.479	132	33.694	71	44.784	61
10.	आई.आई.डी बीना, जिला-सागर	41.500	19.522	293	9.659	79	9.863	214
11.	सिद्धगुवां, जिला-सागर	122.000	67.637	332	45.718	223	21.919	109
12.	प्लास्टिक पार्क तामोट, रायसेन	49.3300	33.72	172	2.842	15	30.878	157
	कुल	**2823.797**	**1882.609**	**3667**	**1234.607**	**2237**	**648.002**	**1430**

एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर अंतर्गत विकसित औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी

क्रं	विकसित औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटन योग्य भूमि		आवंटित भूमि		रिक्त भूमि	
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या
1.	सीतापुर फेस – I, एवं फेस -II जिला-मुरैना	209.95	127.54	106	26.002	48	101.538	58
2.	पिपरसेवा, जिला-मुरैना	66.270	37.540	170	4.430	07	33.110	163
3.	रेडीमेड गारमेंट पार्क, जिला-ग्वालियर	19.990	7.982	220	2.176	64	5.806	156
4.	फूड क्लस्टर बडौदी, जिला-शिवपुरी	14.773	6.465	77	0	0	6.465	77
5.	बानमौर, जिला-मुरैना	273.675	219.175	215	219.175	215	0	0
6.	प्रतापपुरा, जिला- टीकमगढ़	45.010	24.460	100	19.610	78	4.850	22
7.	आईआईडी प्रतापपुरा, जिला- टीकमगढ़	21.005	9.076	135	8.097	114	0.979	21
8.	आईआईडी जड़ेरूआ, जिला-मुरैना	28.140	15.950	120	10.370	83	5.580	37
9.	मालनपुर-घिरौंगी, जिला-भिण्ड	1311.272	920.463	913	774.189	604	146.274	309
10.	फूडपार्क मालनपुर, जिला-भिण्ड	28.188	17.250	66	10.990	34	6.260	32
11.	स्टोन पार्क, जिला-ग्वालियर	37.730	14.950	103	14.880	102	0.070	01
	कुल	**2056.003**	**1400.851**	**2225**	**1089.919**	**1349**	**310.989**	**876**

एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर अंतर्गत विकसित औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी

क्रं.	विकसित औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटन योग्य भूमि		आवंटित भूमि		रिक्त भूमि	
			क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	भूखण्ड संख्या
1	पीथमपुर 1 एवं 2	793.907	532.766	624	528.020	615	4.746	09
2	पीथमपुर 3 एवं 4 (खेड़ा)	1,216.820	1,005.740	1019	996.200	1015	9.54	04
3	एस.ई.झेड फेस-1 एवं 2 पीथमपुर, धार	569.330	396.164	459	253.184	402	142.98	57
4	एफ.पी.पी. निमरानी, खरगोन	27.120	26.329	179	20.459	163	5.87	16
5	आई.आई.डी.सी. निमरानी, खरगोन	73.028	38.698	117	32.110	96	6.588	21
6	मेघनगर, झाबुआ	223.750	134.723	305	119.000	280	15.723	25
7	रेडीमेड काम्पलेक्स जिला-इन्दौर	16.274	9.530	219	9.530	219	0	0
8	इलेक्ट्रानिक्स काम्पलेक्स, इन्दौर	18.680	6.440	180	6.430	180	0.01	0
9	रंगवासा-राऊ, जिला-इन्दौर	8.703	5.899	34	5.890	34	0.009	0
10	सोनवाय भैंसलाय जिला-इन्दौर	65.246	50.820	5	50.820	5	0	0
11	रूद्धी भावसिंहपुरा जिला-खण्डवा	148.740	76.680	198	2.410	21	74.27	177
12	रेल्वाखुर्द खजूरी, जिला-बड़वानी	40.455	28.703	43	20.500	4	8.203	39
13	नमकीन क्लस्टर, जिला-इन्दौर	5.126	2.538	35	1.910	32	0.628	03
14	उज्जैनी जिला-इन्दौर	58.416	41.800	231	27.180	6	14.62	225
15	बिजेपुर (फार्मा एवं अपेरल क्लस्टर), जिला-इन्दौर	36.760	21.450	101	13.150	67	8.3	34
16	डिनोटिफाईड एरिया एसईजेड-2, जिला-धार	22.961	17.869	9	17.869	9	0	0

क्रं.	विकसित औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटन योग्य भूमि		आवंटित भूमि		रिक्त भूमि	
			क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	भूखण्ड संख्या
17	पीथमपुर-5 (I) जिला-धार	8.954	8.317	4	8.317	4	0	0
18	स्मार्ट इण्डस्ट्रीयल पार्क, पीथमपुर, (नेट्रीप) जिला-धार	479.900	270.925	118	240.602	96	30.323	22
19	देवास-2 एवं देवास-3 जिला-देवास	296.930	242.160	292	238.260	289	3.9	03
20	मक्सी, जिला-शाजापुर	89.169	82.680	100	76.940	98	5.74	02
21	आई.आई.डी.सी. जग्गाखेड़ी जिला-मंदसौर	20.240	9.910	32	9.910	32	0	--
22	एफ.पी.पी. जग्गाखेड़ी जिला-मंदसौर	20.650	12.080	99	12.080	99	0	--
23	नमकीन एण्ड अलाईड फूड क्लस्टर, करमदी, जिला-रतलाम	18.150	8.900	124	4.960	95	3.94	29
24	नेमावर, जिला-देवास	40.000	22.440	105	0.170	2	22.27	103
25	ताजपुर, जिला-उज्जैन	82.840	38.640	212	7.768	10	30.872	202
26	सिरसोदा, जिला-देवास	49.560	26.570	126	0.215	2	26.355	124
27	झांझरवाड़ा, जिला-नीमच	85.960	54.220	193	6.670	43	47.55	150
28	क्रिस्टल आई.टी. पार्क, इन्दौर	5.153	4.664	17	4.130	13	0.534	04
29	अतुल्य आई.टी. पार्क, इन्दौर	1.993	0.983	31	0.929	30	0.054	01
	कुल	**4524.815**	**3178.638**	**5211**	**2715.613**	**3961**	**463.025**	**1250**

एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर अंतर्गत विकसित औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी

क्रं.	विकसित औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटन योग्य भूमि		आवंटित भूमि		रिक्त भूमि	
			क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	भूखण्ड संख्या
1.	औद्योगिक विकास केन्द्र बोरगांव, जिला-छिंदवाड़ा	250.435	156.919	216	151.359	205	5.560	11
2.	औद्योगिक विकास केन्द्र बोरगांव (विस्तार),जिला-छिंदवाड़ा	34.731	22.234	72	13.603	35	8.631	37
3.	फूडपार्क बोरगांव, जिला-छिंदवाड़ा	21.465	12.898	29	12.898	29	0.000	0
4.	लहगडुआ, जिला-छिंदवाड़ा	35.042	24.510	81	2.697	10	21.813	71
5.	भुरकलखापा, जिला-सिवनी	60.780	16.716	56	9.852	37	6.864	19
6.	औद्योगिक विकास केन्द्र मनेरी, जिला-मण्डला	486.917	181.040	389	131.954	263	49.086	126
7.	फूडपार्क मनेरी, जिला-मण्डला	30.354	14.053	45	9.033	30	5.020	15
8.	उमरिया-डुंगरिया फेस-।, जिला-जबलपुर	60.000	18.364	118	16.164	109	2.200	09
9.	उमरिया- डुंगरिया फेस-।।, जिला-जबलपुर	63.050	31.730	203	8.372	155	23.358	48
10.	हरगढ़, जिला-जबलपुर	271.840	82.512	108	37.132	65	45.380	43
11.	आईआईडीसी लमतरा, जिला-कटनी	26.900	13.944	90	13.944	90	0.000	0
12.	लमतरा, जिला-कटनी	46.100	30.181	262	30.181	262	0.000	0
13.	अमकुही, जिला-कटनी	60.000	20.132	134	16.882	121	3.250	13
14.	स्टोनपार्क हरदुआ-खुड़ावल, जिला-कटनी	39.920	9.233	26	3.430	09	5.803	17
15.	उद्योगगिरी पुरैना, जिला- पन्ना	105.500	61.285	85	47.998	51	13.287	34
	कुल	**1593.034**	**695.751**	**1914**	**505.499**	**1471**	**190.252**	**443**

एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय रीवा अंतर्गत विकसित औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी

क्रं	विकसित औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटन योग्य भूमि		आवंटित भूमि		रिक्त भूमि	
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे.में)	भूखण्ड संख्या
1.	उदयोग विहार रीवा, जिला-रीवा	134.910	87.116	237	87.116	237	0.000	0
2.	उद्योग द्वीप बैढन जिला-सिंगरौली	49.213	29.730	132	25.842	101	3.888	31
3.	उद्योग धाम मैहर, जिला-सतना	34.267	19.440	98	14.930	77	4.510	21
4.	आई.आई डी.सी. नादन टोला अमरपाटन, जिला-सतना	38.900	18.890	539	0.260	11	18.630	528
	कुल	**257.29**	**155.176**	**1006**	**128.148**	**426**	**27.028**	**580**

एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा अंतर्गत विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी

क्रं	विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटन योग्य भूमि		आवंटित भूमि (प्री-बुकिंग)		रिक्त भूमि	
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या
1.	टेक्सटाईल पार्क अचारपुरा, जिला- भोपाल	44.00	26.892	162	0.822	13	26.07	149
2.	प्लास्टिक पार्क बिलौआ, जिला-ग्वालियर	37.631	22.256	107	0.066	01	22.190	106
3.	जेतापुर-पलासिया, जिला-धार	200.860	141.618	98	0.098	01	141.520	97
4.	रेहटा खाडकोट, जिला-बुरहानपुर	31.980	19.555	149	0.000	0	19.555	149
5.	आई.टी. पार्क फेस-1 एवं कन्फेक्शनरी क्लस्टर, रंगवासा, इन्दौर	28.650	16.76	81	10.086	53	6.674	28
6.	इन्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रीयल पार्क, जिला-धार	140.750	85.110	18	47.400	12	37.710	06

क्रं	विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटन योग्य भूमि		आवंटित भूमि (प्री-बुकिंग)		रिक्त भूमि	
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या
7.	हातोद, जिला-धार	152.415	92.440	259	1.047	05	91.393	254
8.	कसारबर्डी, जिला-झाबुआ	71.750	53.610	91	0.000	0	53.610	91
9.	पीथमपुर-6, जिला-धार	83.934	50.900	23	48.180	22	2.720	01
10.	मोहना, जिला-इन्दौर	118.84	79.23	220	0	0	79.23	220
11.	इण्डस्ट्रीयल पार्क रतलाम, जिला-रतलाम	19.850	16.830	105	0.410	07	16.420	98
12.	इण्डस्ट्रीयल पार्क जावरा, जिला-रतलाम	35.850	19.020	189	0.390	9	18.630	180
13.	उद्योग द्वीप बैढन, जिला सिगरौली तृतीय चरण	32.342	19.776	42	0.24	01	19.536	41
14.	गुढ, जिला-रीवा	108.414	56.932	88	2.255	10	54.677	78
15.	बाबूपुर, जिला-सतना	62.65	62.65	63	0	0	62.65	63
16.	औद्योगिक पार्क कटनी, जिला-कटनी	13.32	10.57	29	2.61	02	7.96	27
	कुल	**1183.236**	**774.149**	**1724**	**113.604**	**136**	**660.366**	**1588**

एमपी आईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के अधीन अविकसित भूमि की जानकारी

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	तामोट, तहसील-गौहरगंज, जिला-रायसेन	46.987	-	46.987
2	बीलखेडी, तहसील-गौहरगंज, जिला-रायसेन	51.123	-	51.123
3	जमुनिया-खेजडा, तहसील-रायसेन, जिला-रायसेन	108.602	102.71	कुल 108.602 हेक्टे में से आवंटन योग्य 103.247 हेक्टे में से 102.71 हेक्टे भूमि विभिन्न इकाईयों को आवंटित शेष 0.537 हेक्टे.
4	रसूलिया, गोकलाकुंडी, रोजडाचक, तहसील-गोहरगंज, जिला-रायसेन	44.913	-	44.913
5	पग्नेश्वर, तहसील-गौहरगंज, जिला-रायसेन	77.457	20.242	कुल 77.457 हेक्टे. में से 20.242 हेक्टे. मेसर्स टेनासिटी ग्लोबल प्रा.लि. को आवंटित। 20.234 हेक्टे. भूमि राजस्व विभाग हेतु वापिस ली गई। शेष 36.981
6	डोलरिया, तहसील-डोलरिया, जिला-होशंगाबाद	16.187	-	
7	बागलान, बज्जरवाडा, आरी तहसील- बाबई, जिला-होशंगाबाद	418.574	-	418.574
8	कीरतपुर, तहसील-इटारसी, जिला-होशंगाबाद	28.361	-	28.361
9	पीपलनेर, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल	33.230	-	33.230
10	कोलुआकला एवं नरेला शंकरी, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल	57.174	-	57.174
11	पातालपुर वीरान, तहसील-बैरसिया, जिला-भोपाल	26.59	-	26.59

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
12	करारिया, तहसील-बैरसिया, जिला-भोपाल	7.023	-	7.023
13	अचारपुरा, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल	3.188	-	3.188
14	झिलेला, तहसील-जावर, जिला-सीहोर	214.527	-	214.527
15	बागैर, तहसील-आष्टा, जिला-सीहोर	151.227	-	151.227
16	अमीपुर, तहसील-आष्टा, जिला-सीहोर	124.276	-	124.276
17	सीलखेड़ा, तहसील-श्यामपुर, जिला-सीहोर	64.104	-	64.104
18	गुराडिया रूपचंद, तहसील-आष्टा, जिला-सीहोर	132.507	-	132.507
19	मुबारकपुर, तहसील-आष्टा, जिला-सीहोर	12.436	-	12.436
20	बासापुर, तहसील-बुधनी, जिला-सीहोर	0.00	-	मेसर्स विहान इंटरप्राईसेस को आवंटित
21	जर्रापुर, तहसील-बुधनी, जिला-सीहोर	0.00	-	मेसर्स विहान इंटरप्राईसेस को आवंटित
22	शेरपुर, तहसील-सीहोर, जिला-सीहोर	4.694	-	4.694
23	चंदेरी, तहसील-सीहोर, जिला-सीहोर	49.785	-	49.785
24	बैजनाथ, तहसील-आष्टा, जिला-सीहोर	66.164	-	66.164
25	सेवदा, तहसील- आष्टा, जिला-सीहोर	43.827	-	43.827
26	टिटोरिया, तहसील- आष्टा, जिला-सीहोर	20.224	-	20.224

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
27	मुल्लानीमंगलपुर, तहसील- आष्टा, जिला-सीहोर	196.711	-	196.711
28	पलाबे व अन्य, तहसील-ब्यावरा, जिला-राजगढ़	975.309	-	975.309
29	पीपलदा, तहसील-जीरापुर, जिला-राजगढ़	40.000	-	40.000
30	कस्तुरीपुरा व अन्य, तहसील-राजगढ, जिला-राजगढ़	148.662	-	148.662
31	प्रेमपुरा, तहसील-खिलचीपुर, जिला-राजगढ़	51.219	-	51.219
32	रूसिया एवं पैराखेड़ी, तहसील-काचरी, जिला-विदिशा	135.00	-	135.00
33	पातनाकारी, तहसील-रहेली, जिला-सागर	21.000	-	21.000
34	दलपतपुर, तहसील-खुराई, जिला-सागर	27.220	-	27.220
35	करमपुर, तहसील-खुराई, जिला-सागर	60.000	-	60.000
36	बेलाई, तहसील-बीना, जिला-सागर	40.000	-	40.000
37	सौराई, तहसील-बंडा, जिला-सागर	91.509	-	91.509
38	चेवला, तहसील-देवरी, जिला-सागर	158.58	-	40.00
	कुल	**3748.39**	**122.952**	**3465.082**

एमपी आईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर के अधीन अविकसित भूमि की जानकारी

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)
1	मोहना, जिला-ग्वालियर	210.248	--	210.248
2	ग्राम सिमरिया ताल, डबरा, जिला-ग्वालियर	20.769	--	20.769
3	ग्राम डेहरवारा, कोलारस, जिला-शिवपुरी	77.07	--	77.07
4	ग्राम गुरावल, जिला-शिवपुरी	30.64	--	30.64
5	ग्राम परीक्षा किरार पोहरी, जिला-शिवपुरी	43.84 14.33	--	43.84 14.33
6	ग्राम परीक्षा अहीर पोहरी, जिला-शिवपुरी	25.30 26.76	--	25.30 26.76
7	बैराड ग्राम कालामढ, जिला-शिवपुरी	81.11	--	81.11
8	चैनपुरा, जिला-गुना	333.98	--	333.98
9	सकतपुरा, जिला-गुना	80.00	--	80.00
10	ग्राम पिपरोदा खुर्द, जिला-गुना	37.229	--	37.229
11	ग्राम ढढारी, जिला-छतरपुर	30.768	--	30.768
12	बवेडी जंगल तहसील ओरछा, जिला-निवाडी	14.144	--	14.144
13	ग्राम बरही, जिला-भिण्ड	45.84	--	45.84
14	मुरैना लोहागढ	12.27	--	12.27
15	ग्वालियर साँखनी भितरवार	15.693	15.693	--
योग		**1099.991**	**15.693**	**1084.298**

एमपी आईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर के अधीन अविकसित भूमि की जानकारी

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)
1	मल्टीप्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क, रंगवासा, तहसील-इन्दौर, जिला-इन्दौर	92.963	0.000	92.963
2	खेरवास, तहसील-बदनावर, जिला-धार	38.230	28.500	9.730
3	चीराखान, तहसील-देपालपुर, जिला-इन्दौर	73.550	0.000	73.550
4	जामुनिया जागीर, तहसील-महू, जिला-इन्दौर	9.930	0.000	9.930

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)
5	अहेरवास, तहसील-मनावर, जिला-धार	100.397	0.000	100.397
6	औद्योगिक क्षेत्र मोहना, तहसील-देपालपुर, जिला-इन्दौर	140.400	39.950	100.450
7	कछनारिया, तहसील-नागदा, जिला-उज्जैन	117.000	0.000	117.000
8	पोलायकलां एवं पीपलरावा, तहसील-शुजालपुर एवं सोनकच्छ, जिला-देवास एवं जिला-शाजापुर	476.945	0.000	476.945
9	लालुखेड़ी, तहसील-नलखेड़ा, जिला-आगर-मालवा	82.260	0.000	82.260
10	लालबाग-लोधीपुरा, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार	203.872	0.000	203.872
11	तारपुरा, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार	256.128	0.000	256.128
12	डोल, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार	39.991	0.000	39.991
13	कुण्डा, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार	38.543	0.000	38.543
14	बागवन्या, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार	28.378	0.000	28.378
15	काली किराय, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार	40.403	0.000	40.403
16	गवल्याखेड़ी, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार	31.317	0.000	31.317
17	देदला, तहसील-धार, जिला-धार	37.414	0.000	37.414
18	डिगलाय, तहसील-धार, जिला-धार	6.410	0.000	6.410
19	खण्डवा, तहसील-धार, जिला-धार	41.840	0.000	41.840
20	बोदला, तहसील-धार, जिला-धार	31.364	0.000	31.364
21	बुढ़ी बरलाई (मालवा शूगर मील), तहसील-सांवेर, जिला-इन्दौर	33.500	0.000	33.500
22	खवासा, तह.- थाण्दला, जिला-झाबुआ	204.870	0.000	204.870
23	मोरवान, तहसील-जावद, जिला-नीमच	50.160	0.000	50.160
24	कुडियापाड़ा, देवगढ़, रतनाली, साग्वा, तहसील-थाण्दला, जिला-झाबुआ	145.950	0.000	145.950
25	हरनियाखेड़ी, तहसील-महू, जिला-इन्दौर	2.104	0.000	2.104
26	तिलगारा, तहसील-बदनावर, जिला-धार	150.150	0.000	150.150

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)
27	छायन, तहसील-बदनावर, जिला-धार	52.280	0.000	52.280
28	चीराखान, तहसील-बदनावर, जिला-धार	81.534	0.000	81.534
29	गोठा, तहसील-जावद, जिला-नीमच	12.800	8.000	4.800
30	जामथन, तहसील-रतलाम नगर, जिला-रतलाम	2.150	0.000	2.150
31	जुलवानिया, तहसील-रतलाम नगर, जिला-रतलाम	87.030	0.000	87.030
32	पलसोडी, तहसील-रतलाम नगर, जिला-रतलाम	634.523	0.000	634.523
33	रामपुरिया, तहसील-रतलाम नगर, जिला-रतलाम	5.900	0.000	5.900
34	बिबड़ोद, तहसील-रतलाम नगर, जिला-रतलाम	724.230	0.000	724.230
35	सरवानी खुर्द, तहसील-रतलाम नगर, जिला-रतलाम	28.660	0.000	28.660
36	बसई, तहसील-सुवासरा, जिला-मंदसौर	178.830	0.000	178.830
37	देवपुरानगर, तहसील-सुवासरा, जिला-मंदसौर	60.643	0.000	60.643
38	हरिपुरा, तहसील-सुवासरा, जिला-मंदसौर	24.900	0.000	24.900
39	सेमलिकांकड़, तहसील-सुवासरा, जिला-मंदसौर	80.260	0.000	80.260
40	भुकि, तहसील-मंदसौर, जिला-मंदसौर	30.270	0.000	30.270
41	ढिकोला, तहसील-मंदसौर, जिला-मंदसौर	57.640	0.000	57.640
42	कराडिया, तहसील-उज्जैन, जिला-उज्जैन	7.270	0.000	7.270
43	करोंडिया, तहसील-गंधवानी, जिला-धार	6.154	0.000	6.154
44	अंतरसुमा, तहसील-गंधवानी, जिला-धार	9.212	0.000	9.212
45	नागझिरी, तहसील-कोठी महल, जिला-उज्जैन	0.729	0.000	0.729
46	सोनियाना, तहसील-जीरन, जिला-नीमच	39.080	0.000	39.080

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)
47	लोधीपुरा, तहसील-धर्मपुरी, जिला-धार	1.600	0.000	1.600
48	खैरवास, तहसील-धार, जिला-धार	19.342	0.000	19.342
49	दोत्रया, तहसील-बदनावर, जिला-धार	291.896	0.000	291.896
50	बाहमनबर्डी, तहसील-नीमच नगर, जिला-नीमच	15.000	0.000	15.000
	योग	**4926.002**	**76.45**	**4849.552**

एमपी आईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के अधीन अविकसित भूमि की जानकारी

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	कुसमेली, खापाभात, जिला-छिंदवाड़ा,	40.225	-	40.225
2	गाजनडोह, उमरेठ, जिला-छिंदवाड़ा	2.505	2.505	-
3	सोनापीपरी, उमरेठ, जिला-छिंदवाड़ा	6.072	-	6.072
4	खुनाझिरकला, मोहखेड़, जिला-छिंदवाड़ा	3.407	3.407	-
5	डोमरी उमरेठ, जिला-छिंदवाड़ा	47.980	-	47.980
6	भुरकलखापा, डुंगरिया, बिठली जिला-सिवनी,	616.120	19.800	596.320
7	बोडूंदाकला, किरनापुर, जिला- बालाघाट	122.450	-	122.450
8	चिकमारा, कटंगी, जिला-बालाघाट	5.850	-	5.850
9	चावरपाठा, केसली, बडियाघाट, तेंदूखेड़ा, जिला-नरसिंहपुर	296.061	-	296.061
10	कठौतिया, करेली, जिला-नरसिंहपुर	45.803	-	45.803
11	ऐंटाखेड़ा, जिला-जबलपुर	42.420	-	42.420
12	खैरी, शहपुरा, जिला-जबलपुर	53.970	-	53.970
13	धरमपुरा, सिहोरा, जिला-जबलपुर	11.670	-	11.670
14	पाराखेड़ा, सिहोरा, जिला- जबलपुर	22.960	7.900	15.060
15	बोहता, कैलवारा खुर्द, जिला-कटनी	65.490	8.000	57.490
16	बण्डा, मुरवारा, जिला- कटनी	58.890	-	58.890
17	देवरी हटाई, मुरवारा, जिला-कटनी	99.310	-	99.310

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
18	सिमरा रीठी, जिला-कटनी	135.640	-	135.640
19	तिहारी, स्लीमनाबाद, जिला-कटनी	64.830	-	64.830
20	हरदुआ स्लीमनाबाद, जिला-कटनी	9.900	9.900	-
21	विलायतकला, धरवारा बड़वारा, जिला-कटनी	49.765	-	49.765
22	मुरवारी, टिकरिया बिजोरा, कुसमी, सुनतरा, हरदुआ, सनकुई ढीमरखेड़ा, जिला-कटनी	558.670	-	558.670
23	करौंदी, ढीमरखेड़ा, जिला-कटनी	104.160	-	104.160
24	पटटी, बिजौरा बड़वारा, जिला-कटनी	4.910	4.910	-
25	रूपौंध, बछरवारा बड़वारा, जिला-कटनी	7.060	7.060	-
26	अमेहटा, देवसरी विजयराघवगढ़, जिला-कटनी	3.060	3.060	-
27	बिजौरी,महुना, नरसिंहगढ़ पथरिया, जिला-दमोह	302.800	302.800	-
28	गिडन, सगोनी बटियागढ़, जिला-दमोह	497.984	-	497.984
29	गैसाबाद हटा, जिला- दमोह	2.286	2.286	-
30	हरदुवाकेन, सोतीपुरा मानगंज, जिला-पन्ना	7.440	-	7.440
31	देवरी, जिला-बालाघाट	12.745	-	12.745
32	गुडरूघाट, मिरगपुर, जिला-बालाघाट	25.411	-	25.411
33	खापा, जिला-बालाघाट	11.356	11.356	-
34	भीटा, तहसील शहपुरा, जिला-जबलपुर	15.000	-	15.000
	कुल	**3544.200**	**382.984**	**2971.216**

एमपी आईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय रीवा के अधीन अविकसित भूमि की जानकारी

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
1	घुरेहटा, मऊगंज, जिला-रीवा	175.059	-	175.059
2	नया गांव जैतवारा, जिला-सतना	113.206	-	113.206
3-	तपा, करही सगौनी, जिला-सतना	81.793	81.793	-
4	रघुराज नगर, जिला-सतना	40.173	-	40.173
5	पिडरताली, जिला-सिंगरौली	63.031	08	55.031
6	महदेइया, जिला-सिंगरौली	1.95	1.95	-
7	फुलवारी, जिला-सिंगरौली	60.34	-	60.34
8	वरगवॉ देवसर, जिला-सिंगरौली	48.169	10	38.169
9	गडेरिया, जिला-सिंगरौली	40.73	-	40.73
10	गिधेर, बडोखर भीखा झरिया	44.98	-	44.98
11	बाघाडीह, जिला सिंगरौली	29.5	-	29.5
12	जलसार, जिला-अनूपपुर	116.53	-	116.53
13	दियापीपर, जिला-शहडोल	78.696	-	78.696
14	नौबस्ता, जिला-रीवा	166.296	166.296	-
15	भरतपुर, जिला-सीधी	106.734	106.734	-
16	चुरहट, जिला-सीधी	14.095	14.095	-
कुल		**1181.282**	**388.868**	**792.414**

भाग- दो
बजट विहंगावलोकन एवं योजनावार प्रावधान, लक्ष्य एवं व्यय

कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश

शासन द्वारा आवंटित बजट में मितव्ययता बरती जाती है। कार्यालय के लिये बजट प्रावधान का विगत 05 वर्ष का आवंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :-

बजट वर्ष	आवंटन	व्यय
2017-2018	404.89 लाख	386.91 लाख
2018-2019	490.13 लाख	454.15 लाख
2019-2020	597.74 लाख	456.65 लाख
2020-2021	560.39 लाख	477.66 लाख
2021-2022	613.00 लाख	355.20 लाख (दि. 31/12/2021 की स्थिति में)

संचालित योजनायें :–

इस कार्यालय के अधीन कोई योजना का संचालन नहीं किए जाने से योजना बजट नहीं है। कार्यालय द्वारा योजनाओं का संचालन नहीं किए जाने से जेण्डर बजट का प्रावधान नहीं है।

संचालक, वाष्पयंत्र

बॉयलर संचालनालय के अंतर्गत कोई योजना एवं गतिविधि का संचालन नहीं किया जाता है। यह एक पूर्ण आयोजनेत्तर विभाग है। इस कार्यालय को प्राप्त होने वाला बजट पूर्णतः आयोजनेत्तर (Non plan) होता है। अधिकारियों /कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाले वेतन भत्तों के अतिरिक्त यात्रा देयक एवं कार्यालय के सामान्य व्यय के अतिरिक्त कोई मद पर व्यय नहीं किया जाता है।

जेंडर बजट– निरंक

नवीन वाष्पयंत्रों के पंजीयन शुल्क, निरीक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं फेब्रीकेशन शुल्क संचालनालय की आय के मुख्य स्त्रोत है। चालू वितीय वर्ष (01.04.2021 से 31.12.2021 तक) में कार्यालय को प्राप्त चालानों के आधार पर आय व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	आय	व्यय	बचत
2020-21 (दिसबंर 2020 तक)	2,05,88,501	92,35,798	1,13,52,703

संचालनालय द्वारा किसी प्रकार की योजना संचालित नहीं की जाती है। अतः योजनावार बजट निरंक है।

मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल

- **निगम के वार्षिक लेखों से संबंधित जानकारी -** दिनांक 31.12.2021 की स्थिति में निगम की प्राधिकृत अंशपूंजी रूपये 85.00 करोड़ तथा प्रदत्त पूंजी रूपये 81.09 करोड़ थी। विगत तीन वर्षों के लिए अंकेक्षित एवं प्रावधिक लेखों के अनुसार निगम की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :-

(राशि रू. करोड़ में)

विवरण	वर्ष 2018-2019 (प्रावधिक)	वर्ष 2019-2020 (प्रावधिक)	वर्ष 2020-21 (प्रावधिक)
*लाभ/ (हानि)	67.72	4.42	0.15

* यह आंकड़ें निवल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के लिये संदिग्ध एवं डूबत ऋणों के प्रावधान के बाद के है।

- **अन्तर निगमीय जमा (Inter Corporate Deposits-ICD) एवं मियादी ऋण से संबंधित जानकारी :-**

(i) निगम द्वारा वसूली हेतु समय-समय पर एक मुश्त समझौता नीति के अंतर्गत किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप वसूली की स्थिति मूलधन राशि रू. 663.37 करोड से घटकर मूलधन राशि रू. 248.21 करोड रह गई है।

(ii) यहां यह उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 18.07.2019 अनुसार अनुमोदित एक मुश्त समझौता नीति 2007 जो दिनांक 30.06.2017 तक लागू थी, की अवधि कुछ संशोधनों के साथ दिनांक 31.12.2019 तक विस्तारित कर दी गई थी, जिसमें कि कुछ चूककर्ताओं द्वारा दिनांक 30.11.2019 तक आवेदन प्रस्तुत करना था।

उक्त आदेश के तारतम्य में कुछ डिफाल्टर कंपनियों ने एक मुश्त समझौता हेतु अपने आवेदन प्रस्तुत किये थे। किन्तु ये आवेदन एक मुश्त समझौता नीति में उल्लेखित 2007 में मापदण्डों के अनुरूप न होने या वैधानिक विकल्पों से अधिक वसूली होने की संभावना के फलस्वरूप आवेदनों पर निर्णय फलीभूत नहीं हो पाया।

(iii) वसूली हेतु विधिक कार्यवाहियां जैसे कि प्रवर्तकों/प्रतिभूतिकर्ताओं के विरूद्ध आरआरसी, राज्य वित्त अधिनियम की धारा 31(1)(एए) के अंतर्गत प्रतिभूतिकर्ताओं की संपत्ति का उन्मोचन जिसमें व्यक्तिगत प्रतिभूति दी गई है, राज्य वित्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत निगम द्वारा अधिगृहित ईकाइयों की संपत्ति का विक्रय किया जाना, ऋणी कंपनियों द्वारा दिये गये धनादेशों के अनादरित होने से एन.आई.एक्ट की धारा 138 की सहपठित धारा 141-142 के अंतर्गत दायर आपराधिक प्रकरण, कंपनी एक्ट की धारा 434 के अंतर्गत कंपनी के समापन की याचिका एवं जो कंपनी बंद हो चुकी है और उसमें आधिकारिक परिसमापक नियुक्त कर दिये गये हैं, उनके समक्ष निगम द्वारा अपनी वसूली का दावा दायर कर निरंतर वसूली हेतु प्रयास जारी है।

(iv) शासन द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 27.07.2018 एवं 06.08.2018 के अनुसार ऐसी कंपनियां जिन्होंने एक मुश्त समाधान योजना लागू होने के पूर्व या लागू होने के उपरांत अपने दायित्वों का निराकरण कर दिया है, के विरूद्ध अपराधिक कार्यवाही किया जाना या जारी रखना न्यायासंगत प्रतीत नहीं होने से ऐसी कंपनियों के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों को वापस लेने अथवा चल रहे आपराधिक प्रकरणों का शमन करने का परामर्श आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को दिया जावे। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के पत्र दिनांक 10.01.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि आरोपित 42 कंपनियों मे से 21 आरोपी कंपनियों के संचालकों / प्रर्वतकों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गई है जिसमें से शासनादेश के तहत पूर्ण राशि का भुगतान करने के फलस्वरूप 4 प्रकरण वापस ले लिये गये हैं। शेष् 21 आरोपी कंपनियों मे से 14 अरोपी कंपनियां जिन्होंने पूर्ण राशि का भुगतान किया था, के प्रकरणों में खत्मा लगा दिया गया है। आज दिनांक में ईओडब्ल्यू द्वारा शेष 7 प्रकरणों में चालानी कार्यवाही करना शेष है।

(v) पिछले 5 वर्षों में एक मुश्त समझौता नीति के अंतर्गत एवं विधिक कार्यवाहियों के प्रभाव से अंतरनिगमीय जमा पेटे में कुल राशि रू. 15.63 करोड़ (मूलधन राशि रू. 11.34 करोड़ एवं ब्याज राशि रूपये 4.29 करोड़) की वसूली की गई है।

(vi) मेसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेबरीज लि. द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा निगम के पक्ष में पारित आदेश के विरुद् दायर याचिका को निरस्त कर दिये जाने के फलस्वरूप निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कंपनी समापन की कार्यवाही पुन: किये जाने हेतु आवेदन दिया गया। कंपनी द्वारा समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में राशि जमा कर देने के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परिसमापक की कार्यवाही पर स्थगन दे दिया। वर्तमान में प्रकरण अंतिम निर्णय हेतु माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में लंबित है जिसकी आगामी सुनवाई तिथि दिनांक 21.05.2020 को नियत थी। माननीय न्यायालय के वेबसाईट पर आगामी सुनवाई की तारीख का उल्लेख नहीं है।

कंपनी द्वारा कुल लगभग राशि 21.00 करोड़ कंपनी द्वारा जमा किये गये जिसमें से माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में जमा लगभग राशि 13.40 करोड़ एवं एमपीएसआईडीसी के पास जमा लगभग राशि रूपये 7.60 करोड़ है।

मियादी ऋण राशि

निगम द्वारा विगत 5 वर्षों में मियादी ऋण राशि में ब्याज के मद में कुल 4.14 करोड़ राशि की वसूली की गई है।

एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशल लि. भोपाल

वर्ष 2021–22 के लिये मदवार प्रावधान/व्यय का विवरण

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	बजट कोड	योजना का नाम	वार्षिक बजट प्रावधान	31 दिसम्बर 2021 तक हुये व्यय की जानकारी (प्रावधानित)
1	2123	मैग्नीफिसेंट एमपी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन योजना (67-ऋण तथा अग्रिम 008-अन्य राज सहायता) (बीओआरएल को ब्याज रहित ऋण)	25,000.00	-
		मैग्नीफिसेंट एमपी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन योजना (44-राज सहायता 008-अन्य राज सहायता)	93,135.00	59,606.40
		मैग्नीफिसेंट एमपी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन योजना (42-सहायक अनुदान 007-अन्य राज सहायता)	5,600.00	3,584.00
2	7879	औद्योगिकीकरण अधोसरंचना विकास (#45-पूंजीगत परिसम्पत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान)	28,500.00	15,675.00
		औद्योगिकीकरण अधोसरंचना विकास (#64-वृहद निर्माण कार्य, 002-उप वृहद निर्माण कार्य)	10,000.00	2,200.00
		औद्योगिकीकरण अधोसरंचना विकास (#68-एन्यूटी, 001-एन्यूटी (पूंजीगत)	9,500.00	6,415.00
3	6749	भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमार्केशन, सर्विस चार्ज	100.00	80.00

क्र.	बजट कोड	योजना का नाम	वार्षिक बजट प्रावधान	31 दिसम्बर 2021 तक हुये व्यय की जानकारी (प्रावधानित)
4	0101-5396	औद्योगिक क्षेत्र की भूमि के एवज में वृक्षारोपण हेतु सहायता	50.00	32.00
5	1842	औद्योगिक क्षेत्रों का लैंड पूलिंग योजना अंतर्गत विकास	1,500.00	-
6	5531	डेस्टिनेशन म.प्र.-इन्वेस्टमेंट ड्राईव	2,000.00	1,280.00
7	7504	एम.आई.एस. प्रणाली के लिये एकल खिड़की की स्थापना	500.00	320.00
		कुल योग	**1,83,885.00**	**89.192.40**

भाग – तीन
राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश

- राज्य योजनाऐं - निरंक
- केन्द्र प्रवर्तित योजनायें - निरंक
- विश्व बैंक के सहायता से चलाई जाने वाली योजनायें - निरंक
- विदेशी सहायता प्राप्त योजनायें/परियोजनायें - निरंक
- अन्य योजनायें - निरंक

संचालक, वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश

- राज्य योजनाएं - निरंक
- केन्द्र प्रवर्तित योजना - निरंक
- विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाए - निरंक
- विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं - निरंक
- अन्य योजनाए - निरंक

एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.

एमपीआईडीसी द्वारा क्रियान्वित की जा रही राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का क्षेत्रीय कार्यालयवार विवरण –

क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर

क्र.	केन्द्र / राज्य प्रवर्तित योजना	योजना का नाम एवं स्थान	वर्ष 2021-22 (01 अप्रैल 2021 से 31.12.2021 की स्थिति में) (रू. लाख में)		रिमार्क
			बजट आवंटन	व्यय	
3	राज्य प्रवर्तित योजना	औद्योगिक विकास केन्द्र बोरगांव का उन्नयनीकरण	-	-	वर्तमान में कोई व्यय नहीं हुआ है। दिनांक 30.09.2022 तक कार्य पूर्ण होना संभावित।
4	राज्य प्रवर्तित योजना	औद्योगिक क्षेत्र लमतरा का उन्नयनीकरण	-	-	वर्तमान में कोई व्यय नहीं हुआ है। दिनांक 30.09.2022 तक कार्य पूर्ण होना संभावित।
5	राज्य प्रवर्तित योजना	औद्योगिक विकास केन्द्र मनेरी का उन्नयनीकरण	-	-	वर्तमान में संभावित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई है।
		योग	-	-	-

टीप :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपरोक्त परियोजनाओं हेतु बजट आवंटन नहीं हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र में अतिरिक्त व्यय पूर्व वर्ष में प्राप्त बजट एवं निगम अंशदान से किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

क्र.	केन्द / राज्य प्रवर्तित योजना	योजना का नाम एवं स्थान	वर्ष 2021-22 (01 अप्रैल 2021 से 31.12.2021 की स्थिति में) (रू. लाख में)	
			बजट आवंटन	व्यय
1	केन्द्र प्रवर्तित	प्लास्टिक पार्क, तामोट (जल प्रदाय योजना के कार्य) जिला-रायसेन।	-	7.310
2	राज्य प्रवर्तित	औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई, जिला-होशंगाबाद मे अधोसंरचना विकास कार्य	-	1001.420
3	राज्य प्रवर्तित	टेक्सटाईल पार्क अचारपुरा (अधोसंरचना विकास कार्य) जिला-भोपाल	-	252.810
	योग			**1261.54**

टीप :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपरोक्त परियोजनाओं हेतु बजट आवंटन नहीं हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र में अतिरिक्त व्यय पूर्व वर्ष में प्राप्त बजट एवं निगम अंशदान से किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर

क्र.	केन्द्र / राज्य प्रवर्तित योजना	योजना का नाम एवं स्थान	वर्ष 2021-22 (01 अप्रैल 2021 से 31.12.2021 की स्थिति में) (रू. लाख में)		रिमार्क
			बजट आवंटन	व्यय	
1	राज्य प्रवर्तित योजना	औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर जिला झाबुआ में उन्नयन कार्य	1461.00	640.20	1. उन्नयन कार्य पूर्ण। 2. CETP कार्य प्रगति पर है।
2	राज्य प्रवर्तित योजना	नवीन औद्योगिक क्षेत्र रंगवासा कन्फेक्शनरी क्लस्टर जिला इन्दौर में अधोसंरचना विकास कार्य। नवीन बहुउत्पाद औद्योगिक क्षेत्र सह जेम्स एण्ड ज्वेलरी तथा आईटी पार्क में अधोसंरचना विकास कार्य	--	310.80	विगत वर्ष में निगम द्वारा स्वयं की निधि से राशि रू. 310.80 लाख का भुगतान किया गया जो कि राज्य शासन / क्रियान्वयन संस्था का अंशदान रहता है। विकास कार्य प्रगति पर है।
3	राज्य प्रवर्तित योजना	नवीन औद्योगिक क्षेत्र जैतापुर पलासिया जिला धार में अधोसंरचना विकास कार्य	450.00	3058.00	विगत वर्ष में निगम द्वारा स्वयं की निधि से 2608.00 लाख का भुगतान किया गया जो कि राज्य शासन / क्रियान्वयन संस्था का अंशदान रहता है।

क्र.	केन्द्र / राज्य प्रवर्तित योजना	योजना का नाम एवं स्थान	वर्ष 2021-22 (01 अप्रैल 2021 से 31.12.2021 की स्थिति में) (रू. लाख में)		रिमार्क
			बजट आवंटन	व्यय	
4	राज्य प्रवर्तित योजना	नवीन औद्योगिक क्षेत्र रेहटा खड़कोद जिला बुरहानपुर में अधोसंरचना विकास कार्य	450.00	99.66	विकास कार्य प्रगति पर है।
5	राज्य प्रवर्तित योजना	नवीन औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 5 पीथमपुर जिला धार में अधोसंरचना विकास कार्य	365.00	920.83	विगत वर्ष में निगम द्वारा स्वयं की निधि से राशि रू. 555.83 लाख का भुगतान किया गया जो कि राज्य शासन / क्रियान्वयन संस्था का अंशदान रहता है।
6	राज्य प्रवर्तित योजना	इन्दौर पीथमपुर इन्वेस्टमेंट रिजन में नवीन औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 7(पूर्व नाम 4 एवं 5) का विकास कार्य	55,000.00	-	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16/10/2019 ए 11 भोपाल दिनांक 22.09.2020 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
7	राज्य प्रवर्तित योजना	औद्योगिक पार्क रतलाम (अल्कोहल प्लांट-लगुन क्षेत्र) जिला रतलाम	1,950.00	निरंक	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग म.प्र. शासन के आदेश क्र. F/17-26/2021/ए-11 दिनांक 08.09.2021 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।
8	राज्य प्रवर्तित योजना	औद्योगिक पार्क जावरा (जावरा शुगर मिल) जिला रतलाम	4,100.00	निरंक	-
9	राज्य प्रवर्तित योजना	निवेश क्षेत्र रतलाम जिला रतलाम	निरंक	निरंक	-
योग			**63776**	**5029.49**	

टीप- औद्योगिक क्षेत्र में अतिरिक्त व्यय पूर्व वर्ष में प्राप्त बजट एवं निगम अंशदान से किया जा रहा है। अनुक्रमांक 2 एवं 3 में वर्णित परियोजना हेतु वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, रीवा

क्र.	केन्द्र / राज्य प्रवर्तित योजना	योजना का नाम एवं स्थान	वर्ष 2021-22 (01 अप्रैल 2021 से 31.12.2021 की स्थिति में) (राशि रू. लाख में)	
			बजट आवंटन	व्यय
1	राज्य प्रवर्तित योजना	औद्योगिक क्षेत्र गुढ जिला रीवा	-	60.78
2	राज्य प्रवर्तित योजना	औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार चोरहटा रीवा	-	11.00
3	राज्य प्रवर्तित योजना	औद्योगिक क्षेत्र बाबूपुर जिला सतना	-	136.38
4	राज्य प्रवर्तित योजना	उद्योग द्वीप बैढन प्रथम चरण जिला सिंगरौली	-	15.6
5	राज्य प्रवर्तित योजना	उद्योग द्वीप बैढन तृतीय चरण जिला सिंगरौली	200.00	97.8
		योग	**200.00**	**321.56**

टीप :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्रमांक-1 से 4 की परियोजनाओं हेतु बजट आवंटन नहीं हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र में अतिरिक्त व्यय पूर्व वर्ष में प्राप्त बजट एवं निगम अंशदान से किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर

क्रं.	केन्द्र/ राज्य प्रवर्तित योजना	योजना का नाम एवं स्थान	वर्ष 2021-22 (01 अप्रैल 2021 से 31.12.2021 की स्थिति में) (राशि रू. लाख में)		रिमार्क
			बजट आवंटन	व्यय	
1	राज्य प्रवर्तित योजना	सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी ग्वालियर के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कार्य।	1200.000	296.160	कार्य प्रगति पर।
2.	केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजना	औद्योगिक क्षेत्र बिलौआ जिला ग्वालियर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना कार्य।	2066.850	387.830	कार्य प्रगति पर।
3.	राज्य प्रवर्तित योजना	औद्योगिक क्षेत्र बानमोर जिला मुरैना में सडकों के उन्नयनीकरण का कार्य।	1425.000	461.380	कार्य प्रगति पर।
4.	राज्य प्रवर्तित योजना	औद्योगिक क्षेत्र प्रतापपुरा फेज-1 फेज-2 एवं आईआईडी प्रतापपुरा जिला निवाडी जलप्रदाय योजना का उन्नयनीकरण का कार्य।	521 .000	45.000	कार्य प्रगति पर।
		कुल योग	**5112.850**	**1190.370**	

भाग – चार
सामान्य प्रशासनिक विषय

कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश

- विशेष भर्ती अभियान के तहत बैकलाग पदों की पूर्ति की गई है।
- कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य शासन के द्वारा जारी निर्देशों के पालन में समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। विभाग में पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई है, क्योंकि माननीय न्यायालय में प्रकरण के निराकरण होने तक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है।
- कार्यालय के राजपत्रित अधिकारियों की दिनांक 01.04.2021 की स्थिति दर्शाने वाली पदक्रम सूची का प्रकाशन वर्ष 2021 में शासन द्वारा किया गया है। दिनांक 01.04.2021 की स्थिति में कार्यालय के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदक्रम सूची का प्रकाशन वर्ष 2021 में किया गया है।
- कार्यालय में दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	रजिस्ट्रार	01	01	-
2	डिप्टी रजिस्ट्रार	03	-	03
3	असिस्टेंट रजिस्ट्रार	07	06	01
4	अधीक्षक	01	01	-
5	निरीक्षक	17	06	11
6	ऑडीटर	23	10	13
7	स्टेनोग्राफर	01	01	-
8	सहायक ग्रेड-एक	02	01	01
9	सहायक ग्रेड-दो	09	08	01
10	सहायक ग्रेड-तीन	10	06	04
11	स्टेनोटाईपिस्ट	01	01	-
12	डाटा एन्ट्री आपरेटर	09	-	09
13	वाहन चालक	01	01	-
14	दफ्तरी	01	01	-
15	भृत्य	09	06	03
16	प्रोसेस सर्वेन्ट	06	04	02
17	फर्राश	01	-	01
	योग	**102**	**53**	**49**

उपरोक्त 102 पदों में से शासन द्वारा कार्यालय के लिये वर्ष 2017-18 से 2 उप पंजीयक, 8 निरीक्षक, एवं 9 डाटा एन्ट्री आपरेटर के नये पद स्वीकृत किये हैं।

तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के निरीक्षक, डाटाएन्ट्री ऑपरेटर्स एवं आडीटर के पदों की भर्ती हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन वोर्ड द्वारा कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

पेंशन संबंधी जानकारी :–

कार्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।

विभागीय जांच /अपील से संबंधित जानकारी :–

कार्यालय में दिनांक 31.12.2021 की स्थिति में विभागीय जांच/अपील की स्थिति निम्नानुसार है :-

विभागीय जांच अपील प्रकरण	कुल प्रकरण	लंबित प्रकरण
प्रथम श्रेणी	निरंक	निरंक
द्वितीय श्रेणी	निरंक	निरंक
तृतीय श्रेणी	निरंक	निरंक
चतुर्थ श्रेणी	01 प्रकरण	01 प्रकरण

न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित जानकारी :–

इस कार्यालय में किसी भी शासकीय सेवक का न्यायालीन प्रकरण लंबित न होने से न्यायालीन प्रकरणों के संबंध में जानकारी निरंक हैं।

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत जानकारी :–

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है।

संचालक, वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश

सेन्ट्रल बायलर्स बोर्ड :–

सेन्ट्रल बायलर्स बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) उधोग भवन नई दिल्ली, बायलर अधिनियम 1923 एवं भारतीय बायलर विनियम 1950 के अनुरूप बॉयलर संचालनालय, म.प्र., भोपाल में कार्यरत है। सेन्ट्रल बॉयलर्स बोर्ड में संचालक वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश राज्य के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं।

प्रतिवेदित अवधि में सेन्ट्ल बायलर बोर्ड की कोई बैठक सम्पन्न नही हुई।

नियुक्तियॉ एवं पदोन्नतियां :–

प्रतिवेदित अवधि में बॉयलर संचालनालय, में कोई नियुक्ति नहीं हुई है। प्रतिवेदित अवधि में शासन द्वारा श्री जी.पी. पटेल, उप संचालक वाष्पयंत्र की पदोन्नति संचालक वाष्पयंत्र के पद पर की गयी है।

अभियोजनः–

सेवा सेवा निवृत्त सहायक वर्ग- तीन स्व. श्री व्ही.के.जैन, विरूद्ध म.प्र. शासन एक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है, जिसके प्रभारी अधिकारी श्री पुलकित तिवारी, निरीक्षक बायलर द्वितीय श्रेणी भोपाल है, श्री मनोज कल्याणे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में विचाराधीन है, जिसके प्रभारी अधिकारी श्री जी.पी.पटेल, संचालक बायलर भोपाल है एवं श्री जी.पी.पटेल विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एक प्रकरण उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है जिसके प्रभारी अधिकारी श्री तरूण कुमार कटारे विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग भोपाल है।

अपील :–

प्रतिवेदित अवधि में बायलर एक्ट 1923 की धारा 20 के प्रावधान में संचालक वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश के किसी भी आदेश के विरूद्ध राज्य शासन को कोई अपील प्रेषित नहीं की गई।

बॉयलर चालन इंजीनियर्स परीक्षा :–

प्रतिवेदित अवधि में बॉयलर आपरेशन इंजीनियर्स नियम 2011 के अंतर्गत परीक्षा आयोजित नहीं की गई है।

बॉयलर अटेण्डेंट परीक्षा :–

प्रतिवेदित अवधि में बॉयलर अटेण्डेण्ट नियम, 2011 के अंतर्गत परीक्षा आयोजित नहीं की गई है।

वेल्डर परीक्षा :–

इंडियन बॉयलर रेग्यूलेशन 1950 के परिच्छेद 13 में दिये गये विवरण के अनुसार प्रतिवेदित अवधि में वेल्डर परफारमेंस की योग्यता के प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये है। अन्य राज्यों से जारी 57 वेल्डर प्रमाण पत्रों को म.प्र. राज्य में वैद्यता हेतु पृष्ठांकित किया गया है।

एम.पी. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल

मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल (एमपीएसआईडीसी) पूर्व में मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, मध्यप्रदेश औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रेात्साहन विभाग (उद्योग, वाणिज्य और रोजगार विभाग पूर्व नाम) के अंतर्गत शासन का एक उपक्रम है। जिसका ध्येय प्रदेश में स्थापित होने वाले वृहद तथा मध्यम श्रेणी की इकाईयों को विभिन्न प्रकार की सहायता कर प्रदेश के औद्योगिकरण की गति को तेज करना था, जिससे मध्यप्रदेश के औद्योगिक परिद्दश्य पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बना सके। निगम का मुख्यालय 'एव्हीएन टावर', प्लाट नंबर 192, जोन-1, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है। निगम का गठन 13 सितम्बर 1965 को कंपनीज एक्ट 1956 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था जिसमें शत प्रतिशत अंशपूंजी में राशि मध्यप्रदेश शासन द्वारा वेष्ठित की गई है।

वर्तमान में निगम का कार्य मुख्यत- निगम में वितरित ऋणों की वसूली किया जाना हैा निगम के संचालक निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसियंशन के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करते है।

निगम में 31.12.2021 की स्थिति में कुल 26 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है। इनमें से 05 महिलाएं एवं 21 पुरूष सम्मिलित है।

एम.पी. इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल

निगम सेटअप में 613 पद स्वीकृत है, जिसमें वर्तमान में 256 पद निगम सेवा एवं प्रतिनियुक्ति से भरे हुए है तथा 357 पद रिक्त है।

निगम में स्वीकृत पदस्थ एवं रिक्त पदो की जानकारी (31.12.2021 की स्थिति में)

क्रमांक	संवर्ग का नाम/पद	स्वीकृत पद	कार्यरत
1	प्रबंध संचालक	01	01
2	कार्यकारी संचालक	09	04
3	मुख्य अभियंता	01	00

क्रमांक	संवर्ग का नाम/पद	स्वीकृत पद	कार्यरत
4	मुख्य महाप्रबंधक	17	09
5	अधीक्षण यंत्री	10	01
6	महाप्रबंधक	32	15
7	कार्यपालन यंत्री	25	04
8	कम्पनी सचिव	08	01
9	वरिष्ठ लेखाधिकारी	08	01
10	प्रबंधक	94	28
11	सहायक यंत्री	45	29
12	लेखाधिकारी	01	00
13	सहायक प्रबंधक	68	11
14	कनिष्ठ यंत्री	75	30
15	कार्यकारी सहायक/वरिष्ठ कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्टेनोग्राफर)	16	17
16	सहायक ग्रेड-1 (कम्प्यूटर ऑपरेटर/लेखापाल/वरिष्ठ सहायक)	97	56
17	सहायक ग्रेड-2 (कम्प्यूटर ऑपरेटर/कनिष्ठ सहायक)	98	49
18	कैशियर	08	00
	योग	**613**	**256**

- सेटअप के स्वीकृत पदों के अतिरिक्त निगम में 453 सेवक डाईंग केडर में भी कार्यरत है।
- राज्य शासन के पदोन्नति नियम न्यायाधीन होने के कारण अभी पदोन्नतियों पर कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो सका है
- निगम के समयमान वेतनमान के लम्बित प्रकरणों में‘‘समाप्त संवर्ग’’ एवं‘‘जीवित संवर्ग’’ के लगभग 175 प्रकरणों को समयमान वेतनमान प्रदाय किया गया एवं वर्तमान में पात्रतानुसार समयमान वेतनमान प्रदाय करने की कार्यवाही प्रचलन में है।
- निगम में शासन की भॉति कोई भी पेंशन योजना प्रचलन में नहीं है।
- सूचना के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में कुल 87 आवेदन प्राप्त हुए गत वर्ष के 04 लम्बित प्रकरणों सहित कुल 91 प्रकरणों में से 88 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा 03 प्रकरण प्रक्रियाधीन है। विचाराधीन अवधि में 33 अपील प्रकरण प्राप्त हुए है। गत् वर्ष का 01 लंबित प्रकरण सहित 34 अपील प्रकरणों में से 33 प्रकरण का निराकरण किया गया तथा 01 अपील प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
- निगम में विभागीय जांच के 04 प्रकरण तथा 206 न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन है।

भाग – पाँच
अभिनव योजनाएँ

संचालक, वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश

(i) आवेदन पत्र ऑन लाईन करने की सुविधा :- बायलर संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं परिक्षाओं के आवेदन ऑन लाईन प्रेषित करने हेतु मेप आई टी भोपाल द्वारा एक वेबसाइट db.mp.gov.in निर्मित की गई है। ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध है।

(ii) बायलर्स एक्ट 1923 की धाराओं से छूट :- प्रतिवेदित अवधि में राज्य शासन द्वारा धारा 34 (2) के अन्तर्गत राज्य में स्थित विभिन्न इकाईयों के 29 बायलरों को बॉयलर एक्ट 1923 की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान की गई है।

एम.पी.इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल

(i) लैण्ड पूलिंग योजना 2019 के तहत पीथमपुर सेक्टर 04 एवं 05 को विकसित करना :- औद्योगिक प्रयोजन हेतु आपसी सहमति से निजी भूमि अर्जन के लिये राज्य शासन द्वारा लैण्ड पूलिंग योजना 2019 लागू की गई है।

उक्त योजना के तहत इन्दौर-धार इन्वेस्टमेंट रीजन में पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र क्रं. 04 एवं 05 के विकास के लिये प्रथम चरण में 586.70 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर रू. 550.00 करोड़ की लागत से नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु शासन द्वारा दिनांक 22.09.2020 को स्वीकृति प्रदाय की गई है। इससे क्षेत्र में रू. 15000.00 करोड़ का निवेश आयेगा एवं 10000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना संभावित है।

(ii) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस :- व्यवसाय को आसान करने के वातावरण को बनाने के लिए मध्य प्रदेश मे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत महत्वपूर्ण सुधार हुए है, जिन्हें प्रमुख रूप से निम्न कारकों के द्वारा प्राप्त किया गया है –

- सरकारी प्रक्रिया की री-इंजीनियरिंग
- नीतियों का विश्लेषण
- ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देना जो सुधारो के मानक बने
- सेवा प्रदाय मे आने वाली बाधाओं की पहचान और उनका उन्मूलन

एक छत के नीचे सेवाओं की विस्तृत श्रंखला प्रस्तुत करके राज्य ने सिंगल विण्डो सिस्टम को मजबूती प्रदान की है। विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल कर दिया गया है और श्रम कानूनों में सुधार हुआ है। राज्य में विभिन्न सेवाओं में स्व-प्रमाणीकरण की सुविधा भी शुरू की गई है।ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दृष्टिकोण के तहत राज्य रैंकिंग के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि समान जनसांख्यिकी और औद्योगिक विकास में अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश श्रेष्ठतर प्रदर्शन कर रहा है।

(iii) 30 दिवस में उद्योग प्रारंभ करने की प्रक्रिया अंतर्गत निवेश संबंधी विभिन्न आवश्यक सेवाओं की प्रदाय समयसीमा में कमी/युक्तियुक्त कर उन्हें 30 दिवस की सीमा में प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है। उन्हे मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम (PSG Act) की परिधि में भी लाए जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(iv) कंप्यूटाईज्ड केन्द्रीकृत निरीक्षण व्यवस्था- भारत सरकार द्वारा व्यापार संचालन सरलीकरण के लिए राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय व्यापार सुधार कार्यक्रम 2020 के क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए है। इस कार्य योजना अंर्तगत औधोगिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों हेतु आवश्यक निरीक्षणों के लिए एक कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीकृत निरीक्षण

व्यवस्था निर्मित किए जाने हेतु, कंप्यूटाईज्ड केन्द्रीकृत निरीक्षण व्यवस्था एमपीआईडीसी द्वारा विकसित एवं परिनियोजित की गयी है।

(v) **जीआईएस आधारित भूमि आवंटन पोर्टल :-** एमपीआईडीसी द्वारा जीआईएस आधारित भूमि आवंटन पोर्टल का निर्माण किया गया है। जीआईएस पोर्टल के माध्यम से किसी भी समय एवं स्थान पर औद्योगिक भूखण्डो की उपलब्धता देखी जा सकती है। इसके माध्यम से पूर्ण रूप से ऑनलाईन भूमि बुकिंग प्रक्रिया एवं ऑनलाईन आवेदन करने की सुलभता प्रदान की जाती है। साथ ही आधार (UIDAI) आधारित ई-साइन सुविधा एवं उक्तानुसार वैध डिजीटल सिग्नेचर प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन भुगतान एनईएफटी/आरटीजीएस एवं चालान जैसे विभिन्न मोड के माध्यम से विभाग की ओर से भुगतान प्राप्त करने हेतु भुगतान गेटवे प्रणाली के साथ एकीकरण कर व रियल टाइम एप्लिकेशन स्टेटस ट्रेकिंग की सुविधा निवेशकों को प्रदान की जा रही है।

उक्त ऑनलाइन भूमि बुकिंग प्रक्रिया मे कोई दस्तावेज आवश्यक नही होने के फलस्वरूप यह एक पूर्ण रूप से कागज रहित प्रणाली है। साथ ही समयबद्ध भूमि आवंटन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। उक्त प्रक्रिया में त्वरित रसीदो एवं सूचना का प्रदाय (एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से) सुनिश्चित किया जाता है।

(vi) **सिंगल विंडो सिस्टम: INVEST Portal (इंटीग्रेटेड न्यू वेंचर इस्टेब्लिशमेंट) :-** मध्य प्रदेश राज्य को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने की दृष्टि से, निवेशक के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एवं राज्य में निवेश के वातावरण में सुधार के लिए ''INVEST Portal'' नामक सिंगल विंडो सिस्टम के विकास के लिए क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया।

INVEST Portal किसी भी निवेश प्रस्ताव के पूरे निवेश जीवनचक्र के विभिन्न चरणों को आवृत्त करेगा जिसके अंतर्गत प्रारंभिक प्रस्ताव, नेतृत्व निर्मिति, आवेदन की स्थिति, स्थापना-पूर्व अनुमोदन, अनुदान रियायतों की स्वीकृति, संचालन- पूर्व अनुमोदन, अनुदान वितरण, विस्तार / विविधीकरण/ नवीनीकरण अनुमोदन आदि कार्यवाहियां समाहित हैं। यह पोर्टल स्वास्थ्य, पर्यटन आदि सेक्टर्स की परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुमोदन/ अनुज्ञा आदि उपलब्ध कराएगा। यह पोर्टल निवेशकों को सरकारी नीतियों, प्रोत्साहन योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी भी प्रदान करेगा

भाग – छः
विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन

कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश - कोई प्रकाशन नहीं निकाला जाता है।

संचालक, वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश - कोई प्रकाशन नहीं निकाला जाता है।

एम.पी. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल - कोई प्रकाशन नहीं निकाला जाता है।

एम.पी. इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल

निगम द्वारा सामान्यतः किसी पुस्तक का प्रकाशन नहीं किया जाता है यद्यपि निगम द्वारा अपने औद्योगिक क्षेत्र एवं परियोजनाओं से संबंधित ब्रोशर आदि का मुद्रण औद्योगिक उन्नति एवं प्रचार-प्रसार हेतु कराया गया है। इसके साथ-साथ निगम द्वारा विकसित किये जा रहे औद्योगिक क्षेत्र तथा किये जा रहे विकास कार्यो की जानकारी तथा भू आवंटन संबंधी जानकारी को भी दर्शाया जाता है।

भाग - सात
सारांश

कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश

कार्यालय, रजिस्ट्रार, फर्म्स एव संस्थाएं, मध्यप्रदेश विभागाध्यक्षीय कार्यालय हैं। जिसका मुख्यालय भोपाल में है एवं विभागाध्यक्ष रजिस्ट्रार हैं। इस कार्यालय के अधीन सात संभागीय कार्यालय क्रमशः भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा संभाग में हैं।

कार्यालय को भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 एव मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973 के तहत् कार्य सौंपा गया है।

ऐसी पंजीकृत संस्थाए जो नियमानुसार अधिनियम की धारा 27 एवं 28 की जानकारी विहित शुल्क के साथ जमा नहीं कर रही है, को उल्लंघन के नोटिस भेजने के पश्चात् भी यदि उनके द्वारा जानकारी व शुल्क जमा नहीं किया जा रहा है, का पंजीयन निरस्तीकरण करने की कार्यवाही सम्बन्धित असि. रजिस्ट्रार द्वारा की जाती है।

संचालक, वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश में बॉयलर एक्ट 1923 (5 ऑफ 1923) का प्रशासन प्रतिवेदित अवधि में श्री जी.पी. पटेल, संचालक वाष्पयंत्र द्वारा एक निरीक्षक वाष्पयंत्र द्वितीय श्रेणी की सहायता से सम्पादित किया गया।

1. **तृतीय पक्ष** {Third Party } **निरीक्षण :-**
   (i) म.प्र. की अधिसूचना दिनांक 06.12.2001 द्वारा बायलर अधिनियम 1923 की विभिन्न धाराओं को अपवर्जित कर निरीक्षण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया था जिसे म.प्र. शासन की अधिसूचना दिनांक 27/05/2019 के द्वारा निरस्त किया जाकर बायलरों के निरीक्षण के अधिकार अधिसूचना में उल्लेखित बायलर इंजीनियर को प्रदत्त किये गये है।
   (ii) म.प्र. राज्य में स्थित बायलरों का निरीक्षण सेन्ट्ल बायलर बोर्ड नई दिल्ली द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति द्वारा भी किये जा रहे है।

2. **दुर्घटना :-** प्रतिवेदित अवधि में पंजीकृत बायलरों में कोई गम्भीर दुर्घटना नहीं हुई है।

3. **इलेक्ट्रोड् का निर्माण :-** बायलर के वेल्डिंग जोड़ में लगने वाले इलेक्ट्रोड्स के निर्माण की 9 ईकाइयां प्रदेश में कार्यरत है। इकाइयों द्वारा निर्मित इलेक्ट्रोड्स की गुणवत्ता की जॉच प्रत्येक एक वर्ष में विभाग द्वारा इंडियन बायलर्स रेग्यूलेशन 1950 के मानकों के अनुसार की जाकर उन्हें प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं।

4. **विशेष उपलब्धियां :-**
   (i) प्रतिवेदित अवधि में उन सभी बायलर्स के निरीक्षण पूर्ण कर लिये गये है, जिनके निरीक्षण हेतु आवेदन -पत्र प्राप्त हुए थे।
   (ii) शासन के निर्देशानुसार केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत बायलरों (सीआईएस) का निरीक्षण प्रारम्भ किया गया है।
   (ii) वर्ष 2021-2022 में दिसम्बर 1202 तक रूपये 205.88 लाख की आय व रूपयें 92.36 लाख का व्यय हुआ अर्थात रूपये113.52 लाख की शुद्ध बचत हुई।
   (iv) प्रतिवेदित अवधि में 58 बायलर्स एवं 03 इकानामाइजरों का पंजीयन किया गया।

5. **फेब्रीकेशन कार्यः–** मध्यप्रदेश राज्य में स्थित 28 इकाईयों द्वारा बायलर, उनके प्रेशर पार्ट निर्माण एवं बायलरों का रिपेयर कार्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल

1. **निगम के लेनदारों की अद्यतन स्थिति :–**

(i) निगम द्वारा लेनदारों के साथ एक मुश्त निपटान योजना हेतु रूपये 323.48 करोड़ की समझौता योजना राज्य शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। जिसमें से रूपये 237.74 करोड़ निगम को प्राप्त हो चुके हैं शासन से प्राप्त राशि एवं निगम द्वारा आईसीडी की वसूली की 90 प्रतिशत की राशि को मिलाकर एस्क्रो खाते में लगभग रूपये 37.30 करोड़ दिनांक 31.12.2021 पर जमा है।

(ii) निगम द्वारा लेनदारों के साथ् एक मुश्त निपटान योजना के लिये कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391–394 के तहत सुरक्षित एवं कुछ बाण्ड धारकों को छोडकर समस्त बाण्ड धारकों को भुगतान किया जा चुका है।

एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लि. भोपाल

1. **ईज़ आफ डूइंग बिजनेस :–**

(i) प्रकरणों का निराकरण सिंगल विण्डों प्रणाली अंतर्गत।

(ii) पर्यावरण मंजूरी की सुविधा– संचालित करने हेतु सहमति (सीटीओ) एवं स्थापित करने हेतु सहमति (सीटीई)।

(iii) विनियामक मंजूरी संबंधी सुविधा – श्रम, भवन की अनुमति एवं भूमि का डायवर्सन।

(iv) न्यूनतम मानव बातचीत के साथ नियामक मंजूरी का स्वचालन।

2. **औद्योगिक अधोसंरचना :–**

(i) नवीन औद्योगिक क्षेत्र एवं निवेश कॉरीडोर का विकास।

(ii) प्रथम आओ प्रथम पाओ सिद्धांत पर सरल एवं पारदर्शी प्रणाली से आनलाईन भूमि आवंटन।

(iii) औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की अधोसंरचना का उचित मूल्य पर आवंटन।

(iv) नवीन उद्योगों को लेंड बैंक से आसानी से भूमि आवंटन उपलब्ध (बिना किसी प्रतीक्षा सूची के)।

एम.पी.आईडीसी क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रांतर्गत विकसित, विकासाधीन एवं अविकसित भूमि की जानकारी

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	विकसित भूमि		विकासाधीन भूमि		अविकसित भूमि (हेक्टेयर में)
	औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	औद्योगिक क्षेत्रो की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
भोपाल	12	2823.797	01	44.00	3327.399
ग्वालियर	11	2056.003	01	37.631	1084.298
इंदौर	29	4524.815	10	884.879	2,723.458
जबलपुर	15	1593.034	-	-	3544.337

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	विकसित भूमि		विकासाधीन भूमि		अविकसित भूमि (हेक्टेयर में)
	औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	औद्योगिक क्षेत्रो की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
रीवा	04	257.29	04	216.726	1141.406
योग	71	11254.939	16	1183.236	11820.898

एम.पी.आईडीसी क्षेत्रीय कार्यालयों के औद्योगिक क्षेत्रों की विकसित भूमि की जानकारी

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	आवंटन योग्य भूमि		आवंटित भूमि		रिक्त भूमि	
			क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूखण्ड संख्या
भोपाल	12	2823.797	1882.609	3667	1234.607	2237	648.002	1430
ग्वालियर	11	2056.003	1400.851	2225	1089.919	1349	310.989	876
इंदौर	29	4524.815	3178.638	5211	2715.613	3961	465.025	1250
जबलपुर	15	1593.034	695.751	1914	505.499	1471	190.252	443
रीवा	04	257.290	155.176	1006	128.148	426	27.028	580
योग	71	11254.939	7313.025	14023	5673.786	9444	1643.216	4579

टीप :- उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त भूमि बैंक की जानकारी जिसमें विकसित, विकासाधीन एवं अविकसित भूमि की जानकारी क्षेत्रफल, अद्यतन स्थिति विभाग की वेबसाईट www.invest.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

भाग - आठ
महिलाओं के लिये किये गये कार्य

कार्यालय रजिस्ट्रार,फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश

(1) कार्यालय, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रशासन का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र या राज्य शासन की अन्य कोई योजना आदि का संचालन नहीं किया जाता है।

(2) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन महिला मण्डलों का रजिस्ट्रीकृत किया जाता है। महिला उत्पीड़न के संबंध में कार्यालयीन कमेटी का गठन किया गया है एवं वर्तमान में महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

एम.पी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल

(1) एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. द्वारा उच्चतम न्यायालय से जारी मार्गदर्शी सिध्दांत के परिपालन में कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिये समिति का गठन किया गया है। सूचना पटल पर भी जानकारी प्रदर्शित की गई है।

(2) एम.पी.इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शासन के निर्देशो के पालन में क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्यालय में एक महिला प्रकोष्ठ निर्मित किया गया है, जिसमें निगम के महाप्रबंधक स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये है। प्रकोष्ठ में उद्योग स्थापना संबंधी जानकारी, उद्योग स्थापना संबंधी प्रक्रिया, छूट एवं सुविधाएं आदि जानकारी संग्रहित की गई है। महिला उद्यमी निगम कार्यालय में उद्योग स्थापनार्थ सम्पर्क करती है, उन्हें सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

नोटस् :-

नोटस् :-

नोटस् :-

औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन

कार्यरत औद्योगिक इकाईयां